खण्ड-319, अंक-1
शनिवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1897
(9 अगस्त, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 319 में 1 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

R.A-2015

विषय सूची

विषय | पृष्ठ-संख्या

उपस्थित सदस्य १–४

स्वर्गीय सरदार भगत सिंह की माता, स्वर्गीया श्रीमती विद्यावती के निधन पर शोकोद्गार ५–६

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अनाधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, १९७३ (सदन के पटल पर रखी गयी) ६

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (नवम) आदेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया) ६

संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (सदन के पटल पर रखा गया) ६

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ६–७

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ७

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त विधेयक, १९७५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ७

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ (विधान परिषद् से वापसी को सूचना) ७

उत्तर प्रदेश चिट फंड विधेयक, १९७५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. ७

कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ७

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (१९७४–७५) का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ८

संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (पारित) ८–१४

प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्याओं पर सदस्यों की राय जानने हेतु चर्चा (समाप्त) १४–४२

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ४२–४३

श्री शिव चरन लाल की जेल से रिहाई के सम्बन्ध में सूचना .. ४३

सदस्यों के दल–त्याग सम्बन्धी सूचना ४३

सदन के अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. ४३–४४

13507 R.A
8015

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ९ अगस्त, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२०

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)।
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैजशाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र मोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री

चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर,
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़) ।
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफ़िज़
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पंत, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्स सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री

राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि राम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

स्वर्गीय सरदार भगत सिंह की माता स्वर्गीया श्रीमती विद्यावती के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष--

आज काफी संख्या है १० बजे भी ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, मैं आज एक बड़े पवित्र कर्त्तव्य के निर्वाहन के लिये इस सदन में खड़ा हुआ हूं। आज मान्यवर, ९ अगस्त है। वर्षों पहले आज के दिन जिस हिन्दुस्तान में हम रह रहे हैं, उसके इतिहास में बम्बई में गांधी जी के सानिध्य में पंडित जी के प्रस्ताव पर भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू हुआ। स्वराज्य के सैनिकों के प्रति, सभी महान् सैनानियों के प्रति अपनी श्रद्धा के साथ और एक मानी में देश की कृतज्ञता की भावना के साथ नत मस्तक होते हैं। यकायक याद आता है काकोरी के उन वीर शहीदों के जीवन का आज बलिदानी दिन है, आज के दिन काकोरी से अंग्रेजी राज्य के खिलाफ बगावत का बिगुल भगत सिंह के साथियों और उनके दोस्तों ने बजाया था। बाद में भारतीय स्वराज्य संग्राम के गगन में, क्षितिज में भगत सिंह जैसा सितारा उठा और चमका जो ध्रुव तारे की तरह इस देश के नौजवानों की प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन सब की स्मृति में हम नत मस्तक होते हैं।

उन बीरों के साथ याद आती है आज हमें उस वीर भगत सिंह की माता और भारतमाता विद्यावती की, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। मान्यवर, जिसकी कोख से भगत सिंह ऐसा वीर सपूत पैदा हुआ हो, जिसने देश के अन्दर स्वराज्य की लड़ाई को चार चांद लगाये हों, नया जीवन प्रदान किया हो, उस माता के चरणों में बार-बार नमन भारत हमेशा करता रहेगा। उनके एक पुत्र, लाखों लाखों पुत्र, करोड़ों पुत्र, करोड़ों बच्चे उसकी कोख से जन्मे, उनमें सबसे बड़ा एक पुत्र जन्मा जिसने देश को बंधन से मुक्त कराया। मां विद्यावती जी ने लम्बी उम्र पायी। बेटे को फांसी के तख्ते पर चढ़ते देखा और देश को आजाद होते देखा, बेटे की तमन्ना को पूरे होते देखा।

मान्यवर, इसलिए उनकी उस पुण्य स्मृति में मेरा प्रस्ताव है कि यह सदन, उनके सम्मान में, उनकी याद में, उनकी स्मृति में नमन मौन स्वीकार करेगा ही, फिर यह रेकार्ड मान्यवर, हो कि हमने उस अमर मां को, बड़े अच्छे पवित्र दिन पर इस महान् दिन पर, इस महान् बेटे की महान् माता को याद किया और उनके देहान्त पर जहां एक ओर शोक भावना हृदय में उठी वहां उस माता के चरणों और मां की याद में सिर झुकाना चाहता है। उस वीर बलिदानी शहीद भगत सिंह की मां की याद में हम सब नत मस्तक होते हैं। उनके परिवार के शेष लोगों को एक ही बात कही जा सकती है। वह एक की मां होती तो उसे सान्त्वना देते। सारे देश की मां, हर बेटा उसका बेटा, भगत सिंह की मां, सब की मां, भारत की मां, वह भारत माता थीं, और इसलिये हम इस सदन की ओर अपनी ओर से नम्रतापूर्वक कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उनकी स्मृति में नत मस्तक होते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि उनके परिवार के लोगों को हमारी भावना पहुंचाने की आप कृपा करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सरदार भगत सिंह की माता के बारे में और अमर शहीदों के बारे में जो भावना व्यक्त की मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और साथ ही साथ अपने दल को भी सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें। यह मेरा नम्र निवेदन है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ९ अगस्त के शहीदों के प्रति और हमारी राष्ट्र माता के प्रति जो अपनी भावना व्यक्त की है मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

नेता सदन, नेता कम्युनिस्ट और नेता समाजवादी दल ने जो शोकोद्गार की भावना व्यक्त की है, मैं अपने को और सदन को उससे सम्बद्ध करता हूं। आज ९ अगस्त है, क्रान्तिकारी दिवस है, बलिदान और आत्माहुतियों का दिन है। स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे लिये शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी आत्माहुति दी है जिनके कारण हम अंग्रेजी दासता से छूटे। उन दधीच की हड्डियों का मोल और मूल्यांकन नहीं ही किया जा सकता है और ऐसे एक दधीच भगत सिंह थे जिन्होंने अपनी हड्डियों को भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिये देश के चरणों पर न्योछावर कर दिया। उनकी बीर माता को, जिन्होंने एक आत्म बलिदानी को जन्म दिया, सारे देश का मातृत्व, आदरपूर्ण और सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो सारा देश, हम सब और सदन उनके निधन से शोकाकुल होगा ही यह परम स्वाभाविक है। माननीय नेता सदन, नेता कम्युनिस्ट दल और नेता समाजवादी दल ने जो भावना व्यक्त की है उनको शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेगी। हम सब उस परिवार के सदस्य हैं फिर भी औपचारिक रूप से पहुंचा दी जायेगी।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अनाधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, १९७३†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व अनुभाग-१ की उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, १९७३ को, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, १९७२ की धारा १८ की उप धारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (नवम्) आदेश, १९७५††

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-१० की अधिसूचना संख्या २५९८/१५-१०, दिनांक १९ अप्रैल, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (नवम्) आदेश, १९७५ को, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ७३ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों को, जो संविधान के अनुच्छेद ३६८ के खंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से विधान सभा सचिवालय को प्राप्त संचार तथा उक्त विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १८२ (१) के अन्तर्गत-सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचना देता हूं

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

कि उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५, जो विधान सभा के दिनांक ३१ जुलाई, १९७५ के उपवेशन में पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ८ अगस्त, १९७५ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५, जो विधान सभा के दिनांक ३१ जुलाई, १९७५ के उपवेशन में पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ८ अगस्त, १९७५ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७५, जो विधान सभा के दिनांक ३१ जुलाई, १९७५ के उपवेशन में पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ८ अगस्त, १९७५ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५, जो विधान सभा के दिनांक १ अगस्त, १९७५ के उपवेशन में पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ८ अगस्त, १९७५ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश चिट फंड विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश चिट फंड विधेयक, १९७५, जो विधान सभा के दिनांक ५ अगस्त, १९७५ के उपवेशन में पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ८ अगस्त, १९७५ को वापस प्राप्त हो गया है ।

कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचना देता हूं कि कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५, जो विधान सभा के दिनांक ५ अगस्त, १९७५ के उपवेशन में पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ८ अगस्त, १९७५ को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (१९७४–७५) का प्रतिवेदन†

श्री श्रीश चन्द्र (जिला हरदोई)––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (१९७४–७५) का भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के वर्ष १९७०–७१ के प्रतिवेदन में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् से सम्बन्धित अनुच्छेद ११२ (क) पर विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, चूंकि यह विषय माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित है और यह जो विशेष प्रतिवेदन है इस सम्बन्ध में जो आडिट की आपत्तियां हैं उनकी ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि वर्ष १९६९, १९७० और १९७१ की आपत्तियों का विद्युत् परिषद् ने कोई निस्तरण नहीं किया है। जो भी आडिट की आपत्तियां होती हैं, उनका निस्तरण परिषद् को तुरन्त करना चाहिये। दूसरी विशेष बात इसमें यह है कि ४८.१८ करोड़ रुपये की खरीदारी में ४६ लाख रुपये का नुकसान विद्युत् परिषद् को इन अनियमितताओं के कारण हुआ है।

तीसरी बात यह है कि विद्युत् परिषद् के जिन अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है, उनके साथ भेदभाव की नीति बरती है। चौथी बात यह है कि सतर्कता आयोग द्वारा जो आख्या कुछ मामलों में परिषद् को दी गयी है उसका परिषद् ने कार्यान्वयन नहीं किया। पांचवीं बात समिति ने यह संस्तुति की है कि परिषद् द्वारा सूक्ष्म जांच के अभाव में सतर्कता आयोग द्वारा शीघ्रता एवं प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र जांच करायी जाय–ऐसी संस्तुति की है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विशेष प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)––

अध्यक्ष जी, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि––

> "यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५, जिसका संक्षिप्त नाम परिवर्तित करके "संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५" कर दिया गया है, द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिए प्रस्तावित उन संशोधनों का जो उसके अनुच्छेद ३६८ के खंड (२) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।"

मान्यवर, भारतीय संविधान ने अनेकों प्रक्रियाएं और अनेकों व्यवस्थाएं संविधान के रक्षार्थ और प्रजातंत्र की प्रणाली और पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वयं में निहित कर रखी हैं। उनमें से एक मुख्य प्राविधान यह है कि जैसे–जैसे काल, समय और युग की आवश्यकता हो तदनुसार संविधान में परिवर्तन, संशोधन, परिवर्द्धन करने का उपाय उपलब्ध है।

मान्यवर, संविधान में यह भी दिया हुआ है कि अगर कहीं कानूनों को अदालतों की परिधि से बाहर निकालना हो तो उनको संविधान के शेड्यूल ९ में दर्ज कर दिया जाय। संविधान निर्माताओं को इस बात की पूरी आशंका थी और वह आशंका सत्य भी निकली कि कभी कभी, और गलत भी नहीं है, अदालतों पर आक्षेप भी नहीं है, यह विधान सभा या संसद तो जन–भावना का प्रतिनिधित्व करती है और अदालतें बने हुए कानूनों के मुताबिक जनभावना

---

†छापा नहीं गया।

कैसी रहे या न रहे, इसकी बिला परवाह, सिर्फ उसका फैसला कानून के आधार पर जो वर्तमान है किया करती हैं। भविष्य की अपेक्षा से उनका संबंध नहीं होता और इसका दोष उनका भी नहीं है ,क्योंकि यह काम उनका नहीं है। इसी तरह यह प्राविधान है कि कुछ मामलों में उन्हें दखल देने से रोका जाय। इसलिये इस संविधान के संशोधन में जो व्यवस्थाएं की गयी हैं उनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उनमें उन आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब है जिनको इस सदन ने, उदाहरणार्थ लैंड रिफार्म्स के सिलसिले में जो कानून बनाये, सीलिंग के संबंध में कानून बनाये उनको नाइन्थ शेड्यूल में डाल कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भूमि संबंधी मामले विवाद होने को जाते थे और वह संविधान के आधार पर जाते थे कि प्रापर्टी राइट हमसे छीना जा रहा है वह भी उसमें इन्सुलेट कर दिया, उससे हटा दिया। क्योंकि भूमि की कैसी व्यवस्था हो यह तो यह सदन तय कर सकता है, अदालतें भूमि–व्यवस्था निश्चित नहीं कर सकती। यह उनका काम भी नहीं है। सच बात तो यह है कि अदालतों को गैर–जरूरी और उनके न करने लायक कामों से बचाने के लिये संविधान में व्यवस्था की गयी है कि जो चीज उनके क्षेत्र के बाहर है वह चीज वह न करें।

इस परिवर्द्धन में या संशोधन में जो हमारे सामने है यह भी किया गया है कि राष्ट्रपति, स्पीकर, उप-राष्ट्रपति,लोक सभा के स्पीकर और प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में अगर कोई चुनाव याचिका हो तो उसको ऐसा फोरम निर्णय करे जिसको पार्लियामेंट तय करे। मैं समझता हूं यह भी एक बहुत वाजिब बात है। वास्तविकता तो यह है कि क्या कोई भी जानकारी प्रधान मंत्री को अपने व्यक्तिगत चुनाव के सम्बन्ध में रहती है? प्रधान मंत्री जी को तो शायद यह भी नहीं मालूम हो सकता है कि उनके चुनाव क्षेत्र में कितनी सभायें हुईं, हुईं या नहीं हुई, कोई वोट मांगने गया या नहीं, गया तो किस सिलसिले में गया, क्योंकि सारा देश उनका चुनाव क्षेत्र है। जो व्यक्ति प्रधान मंत्री होता है उसका एक चुनाव क्षेत्र के साथ सम्बन्ध में जोड़ कर अदालत के कठघरे में खड़ा करना और फिर यह पूछना कि तुम्हारे क्षेत्र में क्या हुआ ठीक वैसे ही है जैसे सृष्टिकर्ता को बुला कर पूछा जाय कि यहां बाढ़ क्यों आयी। यहां पानी क्यों नहीं बरसा, यहां तेल क्यों नहीं है। सारे देश की सृष्टिकर्ता प्रधान मंत्री एक माने में हैं चाहे वह विरोधी दल होता चाहे शासक दल होता। जो व्यक्ति प्रधान मंत्री होता है वह सारे राष्ट्र की वाणी बोलता है। इन्दिरा गांधी नहीं बोलती हैं जब वह रूस में बोलती हैं। इसलिये जब चुनाव लड़ती हैं तो इस देश के चुनाव का सारा बोझ इसलिये उन पर रहता है क्योंकि उनकी वाणी में देश देखता है कि यह दल किधर जा रहा है, बाकी दल किधर जा रहे हैं। इसलिये दलों के लिये भी उनका देश भर में घूमना जिसके कारण अपने क्षेत्र को बिल्कुल न देख सकना एक उनकी राष्ट्रीय जिम्मेवारी है और जब यह राष्ट्रीय जिम्मेवारी उनके ऊपर हम डाल देते हैं और इस कसौटी पर सोना जब कसा जाता है कि प्रधान मंत्री की नीति यह है और विरोधियों की यह है तो देश इस दिशा में जायेगा। तो यह सब निश्चय होता है उन्हीं के द्वारा तो सारे देश भर में घूम–घूम कर उन्हें लोगों को बताना पड़ता है।

यह अनुचित और अन्यायपूर्ण बात है कि उस एक व्यक्ति को साधारण एम० पी० और एम० एल० ए० की तह जिम्मेवार बना दिया जाय कि तुम्हारे क्षेत्र में चिराग कितने बजे जला और कितने बजे बुझा। उनको क्या मालूम कि कौन क्या कर रहा है। मैं तो कहूंगा कि एलेक्शन ला में परिवर्तन होना चाहिये कि प्रधान मंत्री के मामले में अगर कोई आदमी गलती करे तो वह उस व्यक्ति का दोष माना जाना चाहिये न कि प्रधान मंत्री का। यह यथार्थ है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपने परिवार वालों से भी बात करने का समय नहीं है, अपने सम्बन्ध में सोचने का भी समय नहीं है। कोई भी प्रधान मंत्री को समय नहीं होता। सब को अनुभव है, जो यहां नहीं बैठे वह भी जानते हैं कि हम अपने एक क्षेत्र में कितना ही देखते हैं फिर भी भूल रह सकती ह। और जो आदमी कुछ देख ही नहीं सकता है उसको कठघरे में खड़ा कर के पूछना कि तुम्हारी कांस्टीटुएंसी में क्या हुआ,यह कहां तक उचित है।

इसी तरह राष्ट्रपति को इतने असेम्बली के मेम्बर वोट डालते हैं। मैं, मान्यवर किसी जज के जजमेंट को क्रिटिसाइज बिलकुल नहीं कर रहा हूं मगर मान्यवर, प्रधान मंत्री के

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

चुनाव में जो मूद्दे थे उन पर जरा गहरायी से सोचिये। उस वक्त संविद की सरकार थी, माननीय वीरेन्द्र वर्मा गृह मंत्री थे, इन्हीं के आर्डर थे कि उनकी जानमाल की रक्षा का प्रबन्ध किया जाय। इन्तजाम तो उसका किया इन्होंने, और पूछा जा रहा है प्रधान मंत्री से, अब जरा इस पर आप विचार कीजिये, वे क्या जबाब दें। अब कोई खत उसके बारे में यहां से इन्होंने लिखा होगा तो वह यहां फाइल में होगा, उन्हें उसका क्या पता होगा। हम तो मान्यवर, चुनाव के समय तमाम विरोधी दलों के नेताओं की भी जानमाल की रक्षा का प्रबन्ध कराते हैं और यही आधार प्रधान मंत्री जी के चुनाव के संबंध में लिया गया, इस आधार पर तो सभी का चुनाव रद्द हो जायेगा। इस तरह से तो मैं मुख्य मंत्री हूं, सभी की जानमाल की रक्षा का प्रबन्ध कराता हूं, सभी का चुनाव रद्द करा सकता हूं क्योंकि सभी के चुनाव क्षेत्र में ५–५ आदमियों को भेज दूं और उनसे कहूं कि तुम जाकर काम करो। हुक्म रहेगा मेरा, काम वे करेंगे, उनका और फिर वे लोग इस तरह से फंस जायेंगे।

मान्यवर, इस तरह से देखा जाय तो चुनाव कानून में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में बिचार करने की आवश्यकता है। उसमें परिवर्तन होना आवश्यक हो गया है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां प्रधान मंत्री ही देश की मुखिया हैं, मगर उसे वे अधिकार नहीं हैं जो ब्रिटिश क्राऊन को हैं। ब्रिटिश क्राऊन से ज्यादा पावर्स हमारे यहां प्रधान मंत्री को नही हैं। हमारे यहां राष्ट्रपति भी प्रधान मंत्री की वाणी में बोलता है। उनके विरोध में विरोधी दल वाले भी खड़े होते हैं। उनका चुनाव होता है। उसकी एक सीमा है। मगर उसकी हर वक्त नाप तौल करना मुनासिब नहीं है। इसलिये इस संविधान में कुछ संशोधन करके प्रधान मंत्री को, राष्ट्रपति को तथा स्पीकर को अदालतों के दायरे से बाहर रखा जा रहा है।

मान्यवर, राष्ट्रपति ही जजों को नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को प्रेसीडेंट नियुक्त करे,और प्रेसीडेंट को ही उनके सामने अदालत में जाकर पेश होना पड़े, और वे जज जिनको उसने ही नियुक्त किया है उससे अदालत में प्रश्न करें, वे उनके सामने जाकर खड़े हों, यह उनके पद की गरिमा के लिये भी उचित नहीं है और वैसे भी यह ठीक दिखायी नहीं पड़ता। आपको, मान्यवर, मालूम होगा कि माननीय गिरि साहब को कोर्ट के सामने जाना पड़ा था। तो क्या यह उचित था? क्या इसका कोई औचित्य था? न वास्तविकता से ही इसका कोई संबंध था, और न उनकी कोई जिम्मेदारी थी जिसके लिये उनको जाना पड़ा। कोई भी प्रधान मंत्री या प्रेसीडेंट अपने चुनाव के बारे में समझ भी नहीं सकता और न उसकी कोई जिम्मेदारी है। बहुत सी बातें उसकी नालिज में भी नहीं आतीं और फिर उन बातों के लिये जो उसकी नालिज में भी नहीं हैं, उसको जिम्मेदार ठहराया जाये, यह कहा तक उचित है और कहां उसकी जिम्मेदारी उसमें आती है? साधारण प्रतिनिधियों की तरह अगर उसको अदालत में खड़ा किया जाय तो उसके साथ घोर अन्याय है।

मान्यवर, जो हमारा पीपुल्स रीप्रेजेन्टेटिव ऐक्ट है उसमें बहुत सी बातें ऐंसी हैं जिसमें तरमीम की जरूरत है और हमें खुशी है कि उसमें तरमीम किया जायेगा। उसको भी कोर्ट के जूरिस्डिक्शन से बाहर रखना होगा। पिटीशन्स के लिये व्यवस्था होगी। उसके लिये फोरम बनेगा। जिस प्रकार से अलग-अलग कामों के लिये अलग-अलग कोर्ट बनायी जाती हैं, इसी प्रकार चुनाव संबंधी याचिकाओं के लिये भी अलग फोरम होगा। यह नहीं है कि प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के विरूद्ध पिटीशन्स पेश नहीं किये जा सकते, मगर उसके लिये अलग से प्राविधान होगा, याचिका किसी फोरम के सामने पेश होगी। इसको हमारी पार्लियामेन्ट तय करेगी। हमें संविधान की और अदालतों की दोनों की मर्यादाओं की रक्षा करनी है।

मान्यवर, आप देखेंगे कि इस अमेंडमेंट द्वारा कितने हमारे, जो लोक महत्व के ऐक्ट हैं, चाहे वह आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में हों, चाहे कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में, चाहे खजाने के सम्बन्ध में हों, चाहे इन्श्योरेंस के सम्बन्ध में हों, चाहे बैंकिंग के सम्बन्ध में हों, चाहे आन्तरिक सुरक्षा कानून के सम्बन्ध में हों और चाहे बीमार सूती मिलों के सम्बन्ध में, चाहे इन्डियन कापर कारपोरेशन के सम्बन्ध में कानून हो, चाहे विदेशी मुद्रा विनियमन के सम्बन्धित हों, और चाहे इसी तरह के तमाम, वह भूमि के सम्बन्ध में हो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, और नागर दादरा हवेली और त्रिपुरा के हों, इन सब राज्यों के भूमि सम्बन्धी हदबन्दी के कानून जो बनाये थे, जिससे भूमि का बंटवारा कर सकें, उनको कोर्ट से वापस ले लिया। काफी काम इलाहाबाद हाई कोर्ट का हलका हो जायगा, क्योंकि कितनी रिटें लगी हुयी हैं, भूमि के सम्बन्ध में जिनका कोई हिसाब नहीं है और सबका आधार यही है कि संविधान अधिकार देता है। सभी जानते हैं कि भूमि बहुत दिनों से चुराई हुयी है, जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है जो बड़े-बड़े जमींदार हैं, इन्होंने काफी दिनों तक जमीन हासिल करने के बाद, कोशिश करते-करते इतनी जमीन बनायी है और इतने शक्तिशाली बने हैं। तो फिर अगर हम कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं जमीन के बारे में, तो अदालतें कह दें कि इस खंड से, उस खंड में, इस खंड के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता तो इसीलिये खंडों को खंडित किया जा रहा है।

(हंसी)

हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके, काम ठीक से हो सके, इसलिये ऐसा किया जा रहा है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में में मैंने जो राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री के बारे में निवेदन किया है, उसमें केवल मैंने जनहित की बात की है। प्रधान मन्त्री, और राष्ट्रपति का जो गौरव है उसको और बढ़ाने के लिये ऐसा निवेदन किया है। बल्कि मेरे इस निवेदन को करने में, इस काम को करने में इस देश के जनतन्त्र के भविष्य को हमारी संसद ने और मजबूत बनाने की ओर एक कदम उठाया है। मेरी आशा है और विश्वास है कि यह सदन भी सर्व-सम्मति से इस संशोधन को स्वीकार करेगा और मेरे संकल्प को अपना सहयोग देकर भविष्य निर्माण के सिलसिले में और भविष्य में उत्तर-दायित्वपूर्ण पूर्ण जन प्रतिनिधित्व से स्वरूप की ठीक-ठीक स्थापना करने में अपना सहयोग प्रदान करेगा। मैं मान्यवर, एक बार फिर इस संकल्प को रखते हुये इसको स्वीकार करने के लिय इस सदन से प्रार्थना करता हूं।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो संकल्प सदन के अन्दर पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मेरे दल की हमेशा राय रही है कि संविधान जो हमारा बनाया गया है वह कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जिसको कि पार न कर दिया जाय। हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं और विशेषकर गोलकनाथ वाला केस जब तय हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से, तो संविधान के अन्दर मौलिक परिवर्तन करना पड़ा। मान्यवर, आपको मालूम है कि जो हमारी कांस्टीटुएंट असंम्बलीज थीं, उनका उस समय स्वरूप क्या था उनका गठन क्या था। उस समय हमारे देश के अन्दर क्या मान्यतायें थीं, पर आज उनमें कितना परिवर्तन हो चुका है। नीतियों में कितना परिवर्तन हो चुका है, आर्थिक व्यवस्था में कितना परिवर्तन हो चुका है, विचारो में कितना परिवर्तन हो चुका है। लिहाजा उस समय बनाया हुआ विधान, अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको दूर करना ही पड़ेगा। मान्यवर, आज जो संशोधन पेश किया गया है, उसका हम तो दूसरे आधार पर भी समर्थन करते हैं। आधार क्या है? इन संशोधनों द्वारा पार्लियामेंन्ट की (Soverienty) सावरेन्टी को हम आज एसर्ट कर रहे हैं। जनता के चुने हुये, नुमाइन्दों द्वारा राष्ट्रपति का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

चुनाव होता है और प्रधान मन्त्री का भी ऐसा ही है। इनके दो चुनाव होते हैं--एक तो क्षेत्र से चुनकर आते हैं और उसके बाद पार्लियामेंन्ट के अन्दर बहुमत प्राप्त करते हैं। तब एक दल के नेता यह नहीं रह जाते हैं बल्कि सदन के नेता बनते हैं।

मान्यवर, जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो समाजवादी देशों में जब अखबारों में यह खबर निकली कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को ६ साल के लिये डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है और वह पार्लियामेन्ट के भीतर नहीं रह सकती हैं। वहां इतना ताज्जुब था कि एक व्यक्ति को इतना अधिकार है कि एक प्रधान मन्त्री को बरखास्त कर दे। इसलिये पार्लियामेंन्ट अपने इस मामले में अपनी सावरन्टि एसर्ट कर रही है। प्रधान मन्त्री केवल एक सदन का सदस्य नहीं बल्कि पूरी एक नीति की प्रतीक है पूरे राजनीति की प्रतीक है। उस राजनीति को जिसको देश की जनता का समर्थन प्राप्त है। इस मामले को कोर्टस् के परिवियू के बाहर रखना मैं समझता हूं कि उचित है।

मान्यवर इसका भी हम स्वागत करते हैं कि भूमि सुधार कानून जो संविधान के नये शिड्यूल के अन्दर रखे गये हैं। यदि आप देखें तो जमींदारी उन्मूलन से लेकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कानून, सामाजिक सुधार के कानून अर्थ व्यवस्था को सुधारने के कानून देश की शोषित जनता को राहत दिलाने के सम्बन्ध में जितने कानून थे उन्हें फन्डामेन्टल के आधार पर रद्द कर दिया। यदि आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं जिससे कि जनता को राहत मिल सके तो मैं समझता हूं कि तमाम देश की जनता इसका स्वागत करती है। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री ने संविधान के चालीसवें संशोधन के अनुमोदन के लिए सदन में जो संकल्प रखा है मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं। मान्यवर, हम समाजवादियों की शुरू से यह राय रही है, कि भारतीय संविधान को समाजवादी ढांचे के अनुरूप परिवर्तित किया जाय और हमारे संविधान के समाजवादी व्यवस्थाओं में जो रोड़े हैं उनको हटा दिया जाय और हम शुद्ध समाजवादी रचना को भारतीय संविधान में कर सकें। हमारी राय समाजवादी रचना के लिये हमेशा रही है कि संविधान को परिवर्तित किया जाय उसी के आधार पर लगभग हमारे भारतीय संविधान में जो यह चालीसवां संशोधन है, सदन के सामने पेश है और इसके पहले इनके तमाम परिवर्तन किये गये हैं। मैं मानता हूं कि पूरे संविधान को एकदम नये सिरे से बदलकर एक इसको समाजवादी व्यवस्था के आधार पर बनाया जाय।

मान्यवर, आज जो यह अनुमोदन के लिये चालीसवां संशोधन पेश है इसमे देश की उन महान शक्तियों के बारे में जो राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, लोक सभा के अध्यक्ष और प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में है। वह देश की महान शक्तियां हैं। इनको देश की ६० करोड़ जनता का समर्थन और शक्ति प्राप्त है। मान्यवर कुछ लोग उच्छंखलता के कारण कुछ लोग साजिश के कारण, उनकी बदनामी के कारण अदालतों में जाते थे जो कि प्रजातन्त्र के लिये कलंक की बात थी। उस कमी को दूर करने के लिये, जनतन्त्र की प्रतिष्ठा को बचाने के लिये और समाजवादी देश को आगे बढ़ाने के लिये यह आवश्यक हो गया था कि, हम उन महान विभूतियों का जो कि सारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी शक्ति और उनके सम्मान को सुरक्षित रखें। आज मान्यवर, देखा यह गया कि पिछले दिनों जब राष्ट्रपति,गिरि साहब के खिलाफ एक व्यक्ति ने अदालत में पिटीशन कर दिया और गिरि साहब को अदालत में खड़े होकर अपनी सफाई और बयान देने पड़े उसी तरह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साजिशपूर्ण ढंग से प्रधान मन्त्री के खिलाफ पेटीशन हुआ और उस पेटीशन में जो देश की महान शक्ति थी और जिन्हें करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त था, उन्हें अदालत में जाकर सफाई देनी पड़ी। यह ऐसी चीज थी जो जनतन्त्र के लिये अपमानजनक थी। इस पेटीशन के बारे में एक कवि ने संकेत किया था कि एक उन्ना भैंसा रेल से टकराया तो यह बात सही थी। जिनकी लाखों वोटों से जीत हुई वह अदालत में जाकर खड़ी हों, तो यह सब उनका सम्मान गिराने के लिये ही किया गया। हम इसके पक्ष में नहीं थे। इस तरह से सस्ती ख्याति प्राप्त करना और ऐसा कदम उठाना जनतन्त्र के लिये घातक है। इसलिये मुख्य मन्त्री जी ने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं क्योंकि यह समाजवादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिये है।

मैं इसमें इतना और चाहता हूं कि राज्यों को भी वे शक्तियां जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं या मुख्य मन्त्री हैं उनका भी उसमें वर्णन होना चाहिये जैसे कि देश की महान शक्तियों का इसमें वर्णन है। विधान सभा के अध्यक्ष और मुख्य मन्त्री को भी इस संशोधन की परिधि में लाया जाय? इनको भी उच्छृंखलता के वातावरण से निकाल कर इनकी गरिमा में वृद्धि की जाय। हर प्रदेश के मुख्य मन्त्री और वहां के अध्यक्ष को भी वह सारी गरिमा और शक्ति प्राप्त है इसलिये उनकी रक्षा करनी चाहिये। इसलिये हमारी राय है कि जब कभी समय आये तो इनको भी इसमें जोड़ दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस चालीसवें संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं माननीय सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी और माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी का, जिन्होंने अपने दलों की तरफ से इस संशोधन को स्वीकृति दी। एक ही बात और कहना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई तरह-तरह की बातें कहेंगे जो हमारे विरोधी हैं, जनतन्त्र के विरोधी हैं। मैं इतनी बात कहना भूल गया था और इतना और जोड़ना चाहता हूं कि सारे देश में चुनाव में वोट पढ़ता है प्रधान मंत्री के नाम से उनके दल को यही बात जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में थी और आज इन्दिरा जी के बारे म है। सन् १९७१ को ही देख लें। ऐसे वोट पड़े थे जैसे कि सन् १९५२ में भी नहीं पड़े थे। वह वैतरणी हो गयी थीं कि जिस ने पूंछ पकड़ ली पार हो गया। ऐसा हो गया था कि इन्दिरा जी का नाम ले लो और पार हो जाओ तो ऐसे व्यक्ति को अपने चुनाव के लिये प्रबन्ध करना पड़े तो दुर्भाग्यवश यह बात हमारी कोर्ट ही सोच सकती है साधारण मनुष्य नहीं। विवेकहीन मनुष्य भी स्वीकार नहीं करेगा। कोर्ट की बात है, क्या कहूं। आक्षेप नहीं करना चाहता। और बातें कही गयीं। जहां तक स्पीकर का सवाल है तो मेरी एक राय है। इस समय कहना चाहता हूं। स्पीकर के खिलाफ कोई दल खड़ा न करें। मान्यवर, आप हमारे गवाह हैं। हमने चेष्टा की थी कि कोई दूसरा आदमी आपके विरुद्ध खड़ा न करे। एक और बात है कि आप सर्वसम्मति से चुने गये। आपने तीन बार कहा कि अगर मुझ में विश्वास न हो तो मैं जाता हूं, तो उधर के लोग एक कदम बैठ जाते थे और कहते थे कि आपमें विश्वास है। बहके हुये कदम रुक जाते थे जहां आप यह कह देते थे। तो स्पष्ट है कि चुनाव याचिका का प्रश्न नहीं है, बल्कि स्पीकर के लिये यह परम्परा बननी चाहिये कि स्पीकर के खिलाफ चुनाव न लड़ा जाय। इंगलैन्ड में यह परम्परा है, लेकिन बदकिस्मती से वह यहां नहीं है। जब नहीं है तो देश में तरह-तरह की बातें पैदा होती हैं। हमारा मान्यवर, यह विश्वास है कि इतना अगर बच जायेगा तो फिर जो नहीं रखा गया है उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है।

रामपाल जी ने कहा कि मुख्य मन्त्री का भी नाम होना चाहिये, तो जिसके संभालने के लिये कोई मौजूद है तो उसके लिये जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देश का नेतृत्व ही लड़खड़ा जायेगा तो देश के दुश्मनों की बन आयेगी। मान लीजिये युद्ध हो रहा हों, किसी देश ने हमला कर दिया हो और ऐसे मौके पर अदालत से यह फैसला हो जाय कि देश के प्रधान मन्त्री के विरुद्ध याचिका स्वीकार कर ली गई, तो सारे देश में हलचल मच जायेगी लेकिन

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

मुख्य मन्त्री के मामले में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है और इसलिये मुख्य मन्त्री के इसमें आने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि जिसको सम्भालने वाला कोई मौजूद है उसके सम्बन्ध में कोई गड़बड़ी होने से कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगर नींव ही हिल गई तो सारी इमारत के गिरने का डर हो जाता है। इसलिये जो प्राविधान किया गया है उसमें इस बात को बचा लिया गया है।

नेगी जी ने कहा कि यह कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, तो संविधान ने थोड़े ही कोई लक्ष्मण रेखा उसमें डाली है। यह तो नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ जो तन्त्र बना रहे थे उन्होंने लक्ष्मण रेखा की बात कही है। उसमें तो यह साफ लिखा हुआ है कि जब चाहें आप तरमीम कर सकते हैं और अगर कोई रोके तो तब्दीली करने से रुकना मत, जरूरत पड़े तो बदल देना। यह संविधान की आज्ञा है, यह नियम है और जो कहते हैं कि रुको, वह संविधान की मंशा के खिलाफ जाते हैं। मैं नेगी जी की इस बात से सहमत हूं कि हमारे संविधान में दिये हुये अधिकारों का प्रयोग जनतन्त्र की रक्षार्थ। जिस प्रकार इसके द्वारा किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५, जिसका संक्षिप्त नाम परिवर्तित करके "संविधान-(उन्तालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५" कर दिया गया है, द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का जो उसके अनुच्छेद ३६८ के खंड (२) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ऊदल——

इसको हम सर्वसम्मति से पास करते हैं।

(सभी सदस्यों ने एक स्वर से सर्वसम्मति से पास करने की इच्छा व्यक्त की)

श्री अध्यक्ष——

तो यह संकल्प निर्विरोध पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्याओं पर सदस्यों की राय जानने हेतु चर्चा (क्रमागत)

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)——

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर सदन के विचार सुनने के लिये यहां समय दिया और यह प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष जी, यह प्रदेश देश के सभी प्रदेशों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। हर दिशा में यह पिछड़ा हुआ है चाहे उद्योग हों, खेतीबाड़ी हो अथवा पढ़ाई-लिखाई हो। दुख इस बात का है कि जहां हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है वहीं आबादी में अन्य प्रदेशों से बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रदेश की उन्नति करने के लिये किसी भी दिशा में चाहे शिक्षा हों, बिजली हों, कल कारखाने व उद्योग हों, लोहा अथवा इस्पात बनाना हों, सहायता नहीं की और अपने को वह बचाती रही। उसका ही परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश हर दिशा में पिछड़ा हुआ है।

अध्यक्ष जी, मैं जिस जिले से आता हूं वह पूर्वी जिला है। जो जिले खास तौर से घाघरा नदी के किनारे बसे हुये हैं आप गौर करेंगे कि संयोग से वे सारे के सारे बहुत पिछड़े

---

†८ अगस्त, १९७५ की कार्यवाही से।

हुये हैं और उनको गरीब जिला माना जाता है। आपको याद होगा कि हमारे प्रदेश की उन्नति के लिये दिल्ली की सरकार ने एक पटेल कमीशन नियुक्त किया था और कई महीनों तक उस कमीशन ने हमारे प्रदेश का दौरा किया था, खास- तौर से पिछड़े जिलों का दौरा किया था और उनके सम्बन्ध में उसने केन्द्रीय सरकार के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन हमको दुख है कि केंन्द्रीय सरकार तथा प्रदेशीय सरकार ने पटेल कमीशन की रिपोर्ट की अवहेलना की। आजमगढ़ के सम्बन्ध में जो पटेल कमीशन की रिपोर्ट है उस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आजमगढ़ जिले में ४, ५ चीनी मिलें, दो तीन सूती मिलें खुलनी चाहिये। आजमगढ़ जिला ऊसर जिला है। इसकी चार तहसीलें ऊसर हैं। ऊसर को उपजाऊ बनाने के लिये और ऊसर मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिये फर्टिलाइजर एवं ग्लास फैक्टरी खुलनी चाहिये। यहां पर जूट की मिल खुलनी चाहिये। यह जिला बुनकरों का जिला है इसलिये यहां गरीब बुनकरों के लिये सूती मिल खुलनी चाहिये। लेकिन थोड़े समय बाद पटेल कमीशन की रिपोर्ट पर अमल बन्द कर दिया गया। पटेल कमीशन की रिपोर्ट की भी कुछ जिलों में लागू किया गया और कुछ में नहीं किया गया लेकिन जिन जिलों में उसे लागू किया गया वहां भी पूरी तरह से उस पर पाबन्दी नहीं की गयी।

सारे देश में लगभग ५२ जिले ऐसे हैं जो गरीब माने जाते हैं और उनमें हमारे प्रदेश के पूर्वी जिले जैसे गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर तथा जौनपुर हैं ये बहुत ही गरीब हैं और इन जिलों को गरीबी से उद्धार करने के लिये चतुर्मुखी योजनायें चलाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आप देखेंगे कि गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया में जो रेल लाइन चलती है वह जिले के केवल एक केन्द्र को ही छूती हुई चलती है। वह रेलवे लाइन ऐसी है जैसे किसी जमाने में बैलगाड़ी चलती थी। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि अगर इस रेलवे लाइन से आपको जाना हो तो २४ घन्टे वहां पहुंचने में लगते हैं। ये बहुत ही पिछड़े हुये जिले हैं। इसलिये वहां पर उद्योग धन्धे खोलकर, बेकारों को काम में लगाकर. उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें सामान मुहैया करने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि बड़ी रेलवे लाइन बिछाई जाय। मान्यवर, आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले केन्द्रीय सरकार ने इन जिलों में बड़ी रेलवे लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण किया था।

आजमगढ़ के बारे में कहना चाहता हूं कि अकबरपुर से बेल्थरा और मऊ से दोहरीघाट होकर बांसगांव जाने के लिये रेलवे लाइन बिछाने का सर्वेक्षण किया गया था लेकिन वह सर्वेक्षण होकर ही रह गया उस पर केन्द्रीय सरकार ने कोई आचरण नहीं किया। मेरा ऐसा विश्वास है कि रेलवे लाइन बिछाने में प्रादेशिक सरकार से भी राय ली जाती है और वह अपनी राय केन्द्रीय सरकार को देती है। इन जिलों जैसे आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती जो पिछड़े हुये हैं बड़ी रेलवे लाइन न होने के कारण इनमें उद्योग धन्धे नहीं चल पाते हैं। इस लिये मेरा आग्रह है कि यहां पर रेलवे लाइन बिछाई जाय। मेरा विश्वास है कि अगर यह सरकार केन्द्रीय सरकार को मजबूती के साथ लिखे और उसे मजबूर कर दे तो इन पिछड़े हुये इलाकों की उन्नति के लिये बड़ी रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। श्रीमन्, आपको ज्ञात है कि घाघरा नदी बड़ी विध्वंसकारी और बिनाशकारी नदी है। मान्यवर, हम लोगों को सिंचाई विभाग से एक पैम्फलेट मिला था। आप जानते होंगे कि जो पैसे वाले देश हैं वे अपनी सम्पत्ति का उपयोग नदियों को गहरा करने में करते हैं और जिन देशों की नदियां गहरी हो गयी हैं वहां वे सम्पत्ति को नष्ट नहीं कर पाती हैं। हमारे यहां नदियों द्वारा कटान इतना विकराल हो गया है कि लाखों एकड़ जमीन नदी के पेट में चली जाती है और हजारों परिवार खानाबदोश हो जाते हैं। इसी तरह की विध्वंसकारी नदी यह घाघरा है। जब उसमें पानी आता है तो उसका इस्तेमाल हम रबी और खरीफ की फसल में कर सकते हैं। उसके

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]
पानी का उपयोग यदि हम बिजली बनाने में और सिचाई करने में करें तो वह हमारे लिये लाभदायक सिद्ध होगी। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के मन्त्रालय ने एक रिपोर्ट हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है जिसमें कर्णाली और जलकुंडी योजना घाघरा और राप्ती नदी पर बांध बनाकर बिजली पैदा की जा सकती है और लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। इस सम्बन्ध में हम लोगों ने सिंचाई मन्त्री से भी बात की थी कि ये काम सरकार करे। घाघरा और राप्ती नदी के पानी का पूरा उपयोग यदि इन पूर्वी जिलों में जैसे बांदा, गोंडा, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ पीलीभीत आदि में किया जाय तो इन जिलों के लोगों की दरिद्रता काफी सीमा तक कम हो सकती है और जो खानाबदोशों की तरह जिन्दगी व्यतीत करते हैं उसमें कुछ कमी हो सकती है।

श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, आपको जानकारी होगी कि केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के जरिये से कुछ जिलों में मुफ्त पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाता है। आपको बताता हूं कि आजमगढ़ जिले की सरहदें जौनपुर और गाजीपुर जिले से मिलती हैं। आपको बतलाना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा चलाई गई पेय जल योजनायें इन दो जिलों में चल रही हैं लेकिन आजमगढ़ का लालगंज और फूलपुर क्षेत्र जो इस माने में बहुत पिछड़ा है वहां के गरीब आदमियों को बहुत मुश्किल होती है, उनके लिये कोई योजना नहीं है। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यह योजना जो मुफ्त जल देने की है इन इलाकों में भी चलाई जाय क्योंकि हमारा आजमगढ़ जिला अन्य सब जिलों से पिछड़ा है। यहां की आबादी करीब ३० लाख है और यहां पर कोई उद्योग धन्धे भी नहीं हैं। वहां पर पढ़ाई लिखाई में भी लोग पीछे हैं तथा रेल लाइन भी यहां नहीं है। तो इन सब मामलों में प्रदेश और केन्द्रीय सरकार को सोचना चाहिये जिससे इन क्षेत्रों के लिये हम काम कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में २, ४ सुझाव पेश करने का मौका दिया। मान्यवर यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि लगातार २०, २५ सालों से वे पूर्वी जिलों का नाम लेकर वहां की गुरबत और अफलास पर हम आंसू बहाते हैं। आपको याद होगा कि एक बार केन्द्रीय सरकार ने यहां के लिये पटेल आयोग मुकर्रर किया था। हम लोगों को आशा बंधी थी कि पटेल आयोग पूर्वी जिलों का दौरा करके वहां की गुरबत के कारणों का पता लगायेगा और उसको दूर करने के उपाय बतायेगा और जिस पर अमल होगा। वहां की जमीन पर आबादी का बहुत बोझ है उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है और बड़ी सनतों को देकर उनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है और रोजी, रोटी का प्रबन्ध किया जा सकता है। कैसे और कहां-कहां पर नदियों पर पुल बनाये जा सकते है और किस-किस तरह की इन्डस्ट्रीज वहां हो सकती हैं इन सब बातों के लिये योजना बनेंगी। चाहे वह आजमगढ़ हो, या वह गोरखपुर हो, या वह बलिया हो या वह दूसरे पूर्वी जिले हों उनके लिये एजूकेशन, इन्डस्ट्रीज, रोजी-रोजगार के दूसरे साधन हों, उनके लिये हमें आशा बंधी थी। पूर्वी जिलों में हैन्डलूम और थोड़े पावर लूम इन्डस्ट्रीज के दूसरे कोई साधन आजीविका के नहीं हैं। मेरे जिले की आबादी ३० लाख है और उस ३० लाख में से ८ लाख इनसान ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में जाकर फुटपाथ पर सोते हुये मिलेंगे, चाहे वह कलकत्ता हो या वह बम्बई हो या हिन्दुस्तान के दूसरे बड़े-बड़े कारोबार के शहर हों, वहां हमारे यहां के लोग जाते हैं और भूखों मरते हैं और रोजी-रोजगार के लिये भटकते हुये आपको मिलेंगे।

हमारे यहां आप खाद के कारखाने और कांच के कारखाने खोलें जिसकी वहां काफी गुन्जायश है। इसी तरह से सिंचाई के साधन दें जिससे वहां गन्ना लगेगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और बड़ी-बड़ी शुगर फैक्ट्रीज वहां लगेंगी। वहां पर लोहे के कारखाने खुल सकते हैं। जब रायबरेली और लखनऊ में बड़े-बड़े कारखाने लग सकते हैं, स्कूटर का कारखाना लग सकता है, हवाई जहाज का कारखाना खुल सकता है, तो कोई वजह नहीं है कि पूर्वी जिलों में जहां इतनी गुरबत है जिसका रोना सब लोग रोते हैं कारखाने नहीं लग सकते हैं। आजमगढ़ जिला एजूकेशन के परसेन्टेज के लिहाज से देखा जाय तो वहां १८ परसेंट एजूकेशन है, बस्ती में १३ परसेंट है, गोरखपुर में १९ परसेंट है और बलिया की २२ परसेंट है।

इससे अन्दाजा होता है कि तालीम के मैदान में हम किस कदर पिछड़े हैं। जो रोजी-रोटी के साधन कल-कारखानों का, तालीम का और कृषि के विकसित साधनों का सवाल है, हम उन सबमें बहुत पिछड़े हुये हैं। सरकार बराबर कहती है कि हम पिछड़े इलाकों के लिये कुछ करेंगे, किन्तु कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिये जिस तरीके से पटेल कमीशन बिठाला गया था, उसी तरह से नये सिरे से एक कमीशन मुकर्रर करके वहां के लिये आप विकास का कार्य-क्रम बनायें और उसे युद्ध के पैमाने पर अमल करायें, तभी पूर्वी जिलों की जटिल समस्याओं का हल हो सकेगा। इन शब्दों के साथ फिर मैं जोरदार अपील करूंगा कि पूर्वी जिलों का रोना छोड़कर उनके लिये ठोस कार्यवाही की जाये।

(श्री दीप नारायण पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, आप पिछड़े जिले के लोगों को ही बुलवायें।

श्री अध्यक्ष—

आप भी इसके लिये कुछ करें।

श्री दीप नारायण पान्डेय (जिला गोंडा)—

मैं तो गोंडा जिले का हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नहीं श्रीमन्, कुछ विकसित जिलों के लोग भी खड़े हो जाते हैं।

***श्री दीप नारायण पान्डेय—**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रदेश के पिछड़े जिलों के सिलसिले में जो चर्चा हो रही है, उस पर कुछ कहना चाहता हूं। मेरा जिला गोंडा पूर्वी जिलों में आता है। वह पूर्वी जिलों में जितना अधिक पिछड़ा है, उतना शायद ही कोई अन्य जिला हो। आजादी के बाद से आज तक गोंडा में कुछ नहीं हुआ है। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां मेरठ में १६५ इन्टरमीडिएट कालेज हैं, वहां गोंडा में २५ लाख की आबादी पर केवल २५ या ३० इन्टरमीडिएट कालेज हैं। स्पष्ट है कि यह शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। इसके पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण यह रहा है कि वहां पर सामन्ती ताकतें हमेशा मजबूत रहीं हैं। जिससे वहां उद्योग लगे नहीं, कल-कारखाने लगे नहीं, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हुये। यही कारण है कि २५ लाख की आबादी वाले जिले के लाखों आदमी कलकत्ता और बम्बई में जाकर नौकरी करते हैं और वहां दुर्भाग्य का जीवन व्यतीत करते हैं। महोदय, न आजादी के पहले, न आजादी के समय और न आजादी के बाद वहां पर कोई कारखाने लगाये गये। इसलिये मेरा सरकार के ऊपर यह इल्जाम है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने एक बार १९६२ की चुनाव-सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश के सारे जिलों से जमींदारी खत्म हो गई, किन्तु गोंडा में अब भी है। जमींदार अब भी वहां कहा करते हैं कि यदि कल-कारखाने यहां लग गये तो हमें यहां मजदूर नहीं मिलेंगे। इसलिये गोंडा जिले का विकास नहीं हुआ। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि जनता ने जो हमको चुनकर यहां भेजा है, वह अपनी समस्याओं के लिये हमारी ओर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीप नारायण पाण्डेय]

बड़ी आशा भरी निगाहों से देखती है। १६-१७ महीने इस विधान सभा में आये हुये हो गये और बीसों चीजें लिखकर दी गईं लेकिन उन पर आज तक कुछ हुआ नहीं। यदि यहां के सदस्य यहां बैठकर जनता की बातें नहीं मनवा सकते, जनता के विकास के लिये कोई कार्य नहीं करा सकते, तो मेरी आत्मा इस बात को कबूल नही करती है कि हमको इस विधान सभा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम यदि यहां रह कर जनता को परेशानियों से मुक्त नहीं करा सकते, उसे उसकी समस्याओं से छुटकारा नहीं दिला सकते, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते तो हमारे यहां आने का लाभ ही क्या है।

आज हमको इस बात की खुशी है कि आज के ऐजेन्डे में प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों पर चर्चा करने का हमको मौका दिया गया है। मैं आपको भी उसके लिये धन्यवाद देता हूं। मेरे यहां साढ़े सात लाख हैक्टर जमीन पर खेती होती है। मैंने कई बार माननीय सिंचाई मन्त्री को लिख कर दिया कि गोंडा में राजकीय नलकूप नहीं के बराबर है। मेरे क्षेत्र, कटरा में एक भी राजकीय नलकूप नहीं है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं आता है? मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब से मैं विधायक हुआ हूं, मैंने बीसों पत्र लिखे हैं कि गोंडा के अन्दर राजकीय नलकूप नहीं हैं। गोंडा जिले के पास में बाराबंकी जिला है। उस जिले में सिंचाई का साधन बहुत ज्यादा है। हमारे यहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। बाढ़ के कारण हजारों गांव जलमग्न रहते हैं। लोग मर जाते हैं, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि गोंडा जिले को इतनी उपेक्षा क्यों की जाती है? मान्यवर, हम लोग एक अनुशासन में बन्धे हुए हैं। कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करते हैं। अहिंसा की नीतियों में विश्वास करते हैं। लेकिन मैंने माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान कई बार दिलाया जब माननीय मुख्य मन्त्री मार्च में गोंडा गये थे तब भी मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ भी नहीं होता।

हमारे यहां जंगल काफी हैं। एक बार मुझे याद है १९६२ में गोंडा में एक पेपर मिल खोलने की योजना बनायी गयी। उस समय चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मन्त्री थे। उन्होंने उसको उठवा कर लखीमपुर खीरी में लगवा दिया। मैं आपकी आज्ञा से इस प्रदेश की सरकार का ध्यान गोंडा के साथ ज्यादतियां और जुल्म की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां एक ओर बाढ़ की विभीषिका है, दूसरी ओर अनएम्प्लायमेंट है। २५ लाख आबादी वाले जिले के लोग भूखों मर रहे हैं। बम्बई, कलकत्ता और कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों में जाते हैं। वहां रा-मैटीरियल इतना है कि नये-नये उद्योगों की स्थापना हो सकती है। मैंने माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को, गन्ना विकास मन्त्री को लिख कर दिया कि वहां केवल तीन चीनी मिलें हैं। गन्ना खेतों में खड़ा-खड़ा सूख जाता है। चीनी मिल की व्यवस्था कीजिये। लेकिन मैं नौकरशाही पर इल्जाम लगाना चाहूंगा, उसने प्रशासनतन्त्र को इतना जकड़ कर रख दिया है। नौकरशाही मन्त्री को रिपोर्ट दे देती है कि यहां मिल नहीं लग सकती है। जाकर कोई देखे। किसानों का गन्ना खड़ा-खड़ा सूख जाता है लेकिन उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं हो पाती।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा, इर्रीगेशन के लिये, इन्डस्ट्री के लिये, नये-नये उद्योगों के लिये मांग करते हुये गोंडा जिले की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। दवा मिलती नहीं। पट्टी तक नहीं मिलती है। डाक्टर कहते हैं कि जा कर ले आओ। आज मुझे इस बात की खुशी है कि सदन में इस बात की आज्ञा दी गयी कि मैं अपने जिले की कुछ समस्याओं को आपके सामने रखूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे यहां की मांगों के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार के कान पर कुछ जूं रेंगेंगी। हमारे जिले के लिये भी कुछ व्यवस्था की जायगी। धन्यवाद।

*श्री लक्ष्मी नरायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने का जो समय दिया और आपने स्वीकार किया इसके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं।

"पूर्वी जिलों का पिछड़ापन" इसकी चर्चा आजादी के बाद से शुरू हुई और इस समस्या का हल ढूंढने के लिये केन्द्रीय सरकार ने पटेल कमीशन का भी गठन किया और वह पटेल कमीशन महीनों पूर्वी अंचल के जिलों में घूम-घूम कर कहां पर क्या होना चाहिये, विकास के लिये उसने रिपोर्ट दी। जब पटेल कमीशन गठित हुआ तो पूर्वी अंचल की जनता को आशा बंधी कि उसके विकास के लिये कोई न कोई कदम उठाया जायगा। लेकिन कमीशन के गठन के बाद जो कार्य क्रम दिया गया था, योजना को चालू करने के लिये एक भी काम नहीं किया गया। कम से कम हमारे जिले में तो कोई काम किया ही नहीं गया है। गोरखपुर जिले में काफी घनी आबादी है। यहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय २६० रुपये है। यह सरकारी आंकड़े बतलाते हैं। इस जिले की आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है और जिले के लोग न केवल हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में अपनी रोजी कमाने के लिये जाने के लिये मजबूर हैं।

जहां तक उद्योगों के विकास का सम्बन्ध है, हमारा गोरखपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर एक फर्टीलाइजर का कारखाना अवश्य लगाया गया है, लेकिन उसमें भी बाहरी लोगों को भर्ती किया जाता है, जिससे मजदूरों की समस्या ज्यों की त्यों बनी ही है।

हमारे जिले में सीलिंग से जो जमीन निकली उसको वहां के गरीब और भूमिहीन लोगो को न देकर खीरी और लखीमपुर के लोगों को दी गयी। इस सम्बन्ध में वहां के लोगों ने आन्दोलन भी किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सड़कों का विकास नहीं हुआ है। आजादी के इन २७ वर्षों में हमारे यहां किसी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। केवल एक सड़क फरेन्दा तहसील में जो १९४६ में बनना शुरू हुई थी वह सड़क आज भी पूरी नहीं हो पायी है, सड़कों के निर्माण का नतीजा यह है। वहां पर सडकों का विकास नहीं हो पाया है। गोरखपुर जिले में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है और यातायात के साधन नहीं है। वहां पर ऐसे भी क्षेत्र पड़े हुए हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति आज भी नहीं जा सकता है। दवाई और अस्पताल की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

इस जिले में बाढ़ बहुत आती है, जिसके कारण लोग पीड़ित रहते हैं। यहां पर राप्ती और घाघरा दो बड़ी नदियां हैं, जिसमें बाढ़ बहुत आती है और अपना भीषण रूप धारण करती है जिससे किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। उनकी भूमि की भूमि बाढ़ में चली जाती है। मुझे यह रिपोर्ट मिली है कि राप्ती और घाघरा ने अपने रास्ते को भी बदला है जिससे न मालूम कितनी भूमि बाढ़ की चपेट में आ गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि इन २७ वर्षों में बाढ़ पर सरकार नियन्त्रण नहीं पा सकी है।

नैपाल के पास जलकुन्डी में राप्ती नदी पर बांध बनाने की योजना और घाघरा को बांधने की योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। वह कब पूरी होगी, पता नहीं है। इस जिले में बाढ़ की समस्या मुख्य है। पूर्वी जिलों का बहुत सा हिस्सा बाढ़ की तबाही में है। यहां के लोग गोबरहा अनाज खाते हैं। इस पर पार्लियामेन्ट में सवाल उठा तो पंडित जी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया था। नैपाल की तराई में हजारों मजदूर काम करने के लिये जाते हैं। सड़कों का हमारे जिले में अभाव है। क्योंकि उनके माल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी नरायण पाण्डेय]

की निकासी की ओर उनको सस्ते दामों पर सूत मिलने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है और न वहां पर इस बारे में कोई नियम ही है। पहले वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई थीं, लेकिन उन पर बड़े-बड़े लोग ४२० करके सारा सूत लेकर ब्लैक में बेच करके हैन्ड-लूम के उद्योग को चौपट करके वहां के बुनकरों को मार रहे हैं।

अब मैं उस बात के बारे में कहना चाहता हूं जिसके बारे में पिछली सरकारों ने भी चर्चा की है। वह यह है कि गोरखपुर में काफी बड़े क्षेत्र में जंगल हैं और उस एरिया में एक इस प्रकार की घास पैदा होती है जिससे कागज बनाया जा सकता है। तो कागज के कारखाने को चलाने की बात चल रही थी, और इसी उद्देश्य से वहां पर पल्प के वृक्षों का भी आरोपण किया गया था, लेकिन अभी तक न तो कोई कागज का कारखाना ही बन पाया है और न ही वहां पर माचिस का कारखाना खोलने की बात है। गोरखपुर जिला न केवल बाढ़ से ही पीड़ित है बल्कि वहां पर सड़कों की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिये मान्यवर, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और विशेष रूप से माननीय सिचाई मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि यदि गोरखपुर की जनता को बाढ़ से राहत दिलाना चाहते हैं तो वे कोई योजना चालू करें। यदि ऐसा किया गया तो हमारे जिले की जनता इस सरकार के प्रति बहुत ही कृतज्ञ होगी, शुक्रगुजार होगी।

आखरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो क्षेत्र विकास कर रहे हैं, वहां पर सरकार की ओर से उद्योग-धन्धे भी बड़े पैमाने पर चल रहे हैं लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं, वे और पिछड़े होते चले जा रहे हैं, सरकार की यह जो पूंजीवादी विकास की नीति है यह जनता को तबाह कर रही है। इस नीति का परित्याग करके सरकार को इन क्षेत्रों में जहां पर आर्थिक तौर से और जहां पर कृषि का विकास नहीं हो रहा है, और जहां पर बेकारी और बेरोजगारी तथा गरीबी और भुखमरी की समस्या है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिये। अन्त में मेरी सरकार से यह प्रार्थना है, आग्रह है कि वह पूर्वांचल के जिलों की ओर समुचित ध्यान दे, जिससे वहां की जनता को गरीबी और बेकारी से छुटकारा मिल सके।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, एक जिले से कम से कम एक आदमी को अपने विचार व्यक्त करने की आज्ञा देने की कृपा करें ताकि वह सारी बातें कह सकें।

श्री अध्यक्ष—

अभी जौनपुर का कोई सदस्य पहले नहीं बोला है। मैंने माननीय राज किशोर तिवारी का नाम पुकारा है।

एक सदस्य—

मान्यवर, बस्ती से कोई नहीं बोला है।

श्री अध्यक्ष—

बस्ती से माननीय राम लखन जी बोल चुके हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, बलिया जिला सबसे पिछड़ा हुआ है, इसलिये मुझे भी बोलने की इजाजत दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। आपको भी सबसे पीछे मौका मिलेगा। (हंसी)।

श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

सबसे पिछड़े जिले का निवासी होने के नाते और इस सदन में उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको

धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, यहां पर जो चर्चा हो रही है, उससे मालूम हुआ कि हम वही पुरानी बातों पर जो कई बार इस सदन में पूर्वी जिलों के बारे में और पिछड़े क्षेत्रों के बारे में करते आये हैं, हमें संभवत : आज भी उन्हीं बातों पर फिर चर्चा करनी पड़ेगी । चाहे हमारा यह सदन हो और चाहे हमारे देश का सर्वोच्च सदन लोक सभा हो, उसमें भी कई बार हमरे पूर्वी जिलों की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि बहुत से सुझाव आ चुके हैं। दुख इस बात का होता है कि इतनी चर्चाओं के बाद और यह जानकारी के बाद कि यह क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है, सर्वदा प्रतिवर्ष बाढ़ का शिकार हुआ करता है।

हमारे देश में उत्तराखंड से जितनी नदियां चलती हैं वह यहां आकर बरबादी फैलाती हैं। ये सारी चीजें सरकार के सम्मुख आ चुकी हैं और हमारी गरीबी और हमारे पिछड़ेपन और दुखद कहानी की रचना करने के लिये हमारे देश के कर्णधारों ने एक पटेल आयोग का आयोजन किया था और उस आयोग ने पूर्वी जिलों में घूम-घूम कर पता लगाया और रिपोर्ट दी। उसके सम्बन्ध में ८ जिले गरीबी की चरम सीमा पर माने जाने वाले माने गये। उसमें हमारा जिला जौनपुर भी है। पटेल कमीशन ने उल्लेख किया कि इस जिले में न तो कोई उद्योग है, न कल-कारखाना है। यहां के लाखों-लाख नागरिक सुदूर प्रदेशों में जाकर, देशों और विदेशों में जाकर, लंका, इन्डोनेशिया और ऐसी-ऐसी जगहों में जाकर के अपनी रोजी-रोटी हासिल करते हैं और अगर वहां जाकर कमाई न करें तो उनके बाल-बच्चों के खाने का कोई साधन नहीं है। अनेकों सुझाव आये हैं। यह भी आया है कि इन जिलों में यातायात का कोई साधन नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप हमारे पड़ोसी जिले के सौभाग्य से यहां अध्यक्ष हैं और हमारी गरीबी और निर्धनता और हमारी सभी कमियां आपके नजरअन्दाज नहीं हैं, सब जानी हुई हैं।

हमारे यहां सबसे ज्यादा कमी इस बात की महसूस हो रही है कि यातायात का कोई साधन नहीं है। आजादी के २७-२८ वर्ष बाद भी एक भी सड़क का निर्माण हमारे यहां नहीं हुआ है। खासकर के हमारी तहसील में मड़ियाहूं में केवल ७ मील पक्की सड़क मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है जो अंग्रेजों के जमाने से है और आजादी के जमाने में एक इंच सड़क भी नहीं बनी। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मैं आपको एक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिये ले गया था और जिस दुर्दशा से धूल फांकते हुये आप उस सड़क पर गये थे, मैं लज्जित हो रहा था और आपने उसे देखा था। वह इतनी आवश्यक सड़क है कि वाराणसी जिले से लेकर प्रतापगढ़, इलाहाबाद और लखनऊ को जोड़ने के लिये २५-३० मील की दूरी कम कर देती है और उस पर बार-बार ध्यान दिलाने पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, साथ ही मुख्य मन्त्री जी और सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से भी हमारा निवेदन है कि हमारे इस साधनविहीन जिले की सड़कों का ख्याल करें और उनका निर्माण करायें। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यावाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश विधान सभा बनी है शायद इस तरह से एजेन्डा पर रख कर पिछड़ेपन की बहस नहीं हुई है। ऐसे विभिन्न दलों के सदस्य विभिन्न, प्रस्तावों द्वारा कई बार पिछड़ेपन का सवाल इस सदन में उठा चुके हैं, लेकिन सरकार स्वत : एजेन्डे पर इस तरह की बहस रखे यह बात पहली बार हुई है। इसके माने क्या हैं ? इसके माने यह हैं कि मेरे ऐसा आदमी यह समझता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के पद पर आज तक जितने लोग बैठे हैं उनकी सम्यक दृष्टि सारे प्रदेश की प्रगति की तरफ नहीं रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्रीय दिमाग का आदमी आज तक उत्तर प्रदेश के शासन की कुर्सी पर बैठा रहा है। यह सब से बड़ा कारण है कि इम्बैलेन्सेज हुये हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

और इसकी तरफ हमारे प्लानिंग कमीशन ने ध्यान आकर्षित किया है कि जब तक रीजनल इम्बैलेन्सेज रहेंगे तब तक जो हम योजनाबद्ध देश की तरक्की करना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगी।

तमाम सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां कुयें नहीं हैं, यातायात नहीं है तो बस्ती तो पूर्वी जिलों में सब से पिछड़ा जिला है, बलिया से भी ज्यादा। अगर दरिद्रता में आप देखें तो बस्ती, गोंडा, बहराइच का सब से पहले नम्बर आयेगा। उसके बाद आजमगढ़, देवरिया और गाजीपुर का नम्बर आता है। बुन्देलखंड पहाड़ी इलाका है और पूर्वी जिले, अर्थ-शास्त्र में और प्लानिंग कमीशन की दृष्टि से जो परिभाषा पिछड़ेपन की दी गयी है उत्तर प्रदेश में ये तीन इलाके ही आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस बहस में अगर सत्य का प्रतिपादन नहीं किया जायगा तो इसकी तरफ शासन का ध्यान नहीं जा सकता है। हमारे मौजूदा मुख्य मन्त्री बधाई के पात्र हैं कि आज उनकी दृष्टि पिछड़ेपन से बिलकुल जुड़ी हुई है क्योंकि वह स्वत : गरीबी काटे हैं। जो गरीबी नहीं काटे होगा उसकी दृष्टि पिछड़ेपन से नहीं जुड़ी होगी। उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि हमारे बहुगुणा जी आज मुख्य मन्त्री के ओहदे पर हैं। इसलिये इनका ध्यान पिछड़ेपन के साथ, गरीबी के साथ, हरिजनों के साथ और जितने दरिद्र और शोषित हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। जितने बड़े-बड़े अफसर शासन की कुर्सी पर हैं वह भावना से इन सब से जुड़े हुये नहीं हैं।

आज देवरिया, बलिया और घाघरा से लगा जो खित्ता है वहां गंगा और जमुना सैकड़ों एकड़ में बालू डाल देती है। उन इलाकों का सर्वे हो रहा है। अफसर कहते हैं कि तुम्हारे खित्ते को हम बालू का प्रदेश कर देंगे तो तुम्हारा टाइटिल खत्म हो जायगा। यह रिश्वत कमा रहे हैं। गरीबों के साथ जो सहानुभूति नहीं रखते हैं वह पिछड़ेपन को कायम रखेंगे। आज अफसरों का तबका किस भावना से काम कर रहा है, मन्त्री जातीयता की निगाह से देखने लगे। हम ब्राह्मण हैं तो बड़े-बड़े ओहदों पर ब्राह्मणों को खींच कर लायेंगे। जब तक जातीयता की दृष्टि रहेगी तब तक मुल्क बराबर पिछड़ा रहेगा, वह तरक्की नहीं कर सकता। आज सम्यक दृष्टि की जरूरत है पिछड़ेपन को दूर करने के लिये। जैसा कि हमारे प्लानिंग कमीशन ने कहा है, माननीय विमल प्रसाद जी तिवारी सक्रेटेरियट की रिपोर्ट अभी आपके सामने पढ़ेंगें, उसमें लिखा है कि मन्त्री को, सेक्रेटरी को, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी को, अफसरों को कैसे विहेव करना चाहिये, क्या रपट देनी चाहिये। पिछड़ेपन का यह भी कारण है। सदस्य मन्त्रियों के पास चिट्ठी लिखते हैं, वह जवाब नहीं देते हैं। यह पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के खिलाफ है और मुख्य मन्त्री को अधिकार है कि ऐसे मन्त्रियों को, जो हमारे माननीय सदस्यों के पत्रों का जवाब नहीं देते हैं, मन्त्रि-मन्डल से निरवसित कर दें। जब तक रूल आफ ला नहीं होगा काम नहीं चलेगा।

पूर्वी क्षेत्र के जब माननीय सदस्य किसी सचिव को कोई चिट्ठी लिखता है, वह उसको यह समझ कर जवाब नहीं देता है कि यह दर्जा ४-५ पास विधायक हमको चिट्ठी लिखता है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब तक यह चीज उसके अन्दर से दूर नहीं की जायगी, पिछड़ापन कभी दूर नहीं हो सकता। जनता ने हमको चुन कर भेजा है जनता की भावनाओं का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की भावनाओं के अनुसार शासन चलेगा, कायदे कानून से शासन नहीं चलेगा और आज इसी लिये संविधान के अन्तर्गत संशोधन किये जा रहे हैं। पिछड़ापन दूर तभी हो सकेगा जब या तो माननीय मुख्य मन्त्री को एकतरफा कानून बनाने का हक हो, या फिर पिछड़े क्षेत्रों के लोग आन्दोलन करने के लिये आमादा हों। बिना इसके पिछड़ापन दूर नहीं होगा। एक तरफ अमीरों की अट्टालिकाओं का अम्बार है, दूसरी तरफ अथाह गरीबी है। हमारी केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस तरफ गया है और प्लानिंग कमीशन ने भी अपने कुछ सुझाव दिये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को आज यह फसला करना होगा कि प्रदेश के जो विकसित इलाके हैं वहां तब तक एक पैसा भी खर्च

न किया जाय जब तक कि पहाड़ी, पूर्वी और बुन्देलखंड से पिछड़े इलाके उतने ही विकसित और सम्पन्न न हो जायें जितने कि अन्य विकसित इलाके हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं। कहा जाता है कि हमारे यहां के लोग मेहनत नहीं करना चाहते। यह बात बिलकुल गलत है। रिक्शा चलाने वाले जितने लोग देवरिया, गोरखपुर, बलिया, और पूर्वी जिलों के मिलेंगे उतने इधर बुलन्दशहर और मुजफ्फरनगर के नहीं मिलेंगे। हमारे यहां किसान प्रात: ७ बजे से रात के १२ बजे तक मेहनत करता है। कमी साधनों की है, हमारे पास साधन नहीं हैं, आबादी का घनत्व भी हमारे यहां अधिक है। हमारे यहां एक स्क्वायर मील में १२-१,४०० लोग बसते हैं, जब कि पश्चिमी क्षेत्र में ४-५०० लोग बसते हैं। यही मुझे निवेदन करना था। जब तक पिछड़े इलाकों का विकास न हो जाय तब तक विकसित इलाकों पर एक पैसा भी खर्च न किया जाय।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों के विषय में यहां चर्चा करने का अवसर दिया। बुन्देलखंड का इलाका वह इलाका है जहां पर नवाब बांदा तथा झांसी की रानी ने आजादी की लड़ाई का चिराग जलाया था, लेकिन आजादी के २७ वर्ष के बाद उस क्षेत्र की हालत वैसी ही है। हरिजनों का उत्पीड़न, बेरोजगारी तथा पिछड़ापन जितना हमारे यहां है उतना और कहीं नहीं है। मान्यवर, बांदा जिले की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की बाबत में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बांदा जिले का क्षेत्रफल ७९४४९६ हेक्टेयर है। जिसमें कृषि भूमि का क्षेत्रफल ४९७९१३ हेक्टेयर है। लेकिन नहर से सिंचाई का अनुपात केवल १ लाख १२ हजार हेक्टेयर है। मान्यवर, एक नहर, केन नहर जो हमारे जिले में है वह केवल कई वर्षों से फसली नहर बन कर रह गयी है। मध्य प्रदेश की तरफ केन नहर पर बांध बने हैं। कई वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में विवाद चल रहा है। १९७२ में माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। रनगवांव बरियापुर का १/३ हिस्सा मध्य प्रदेश को जायगा और बाकी हमारे हिस्से में आयेगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर रही है। जिसकी वजह से हमारे जिले के अन्दर धान की फसल भी सूख जाती है और रबी की फसल के लिये भी पानी नहीं मिलता। जिसका कारण यह है कि कई वर्षों से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। और मान्यवर, जैसा कि अभी सीलिंग कानून पास हुआ है उससे हमारे जिले के किसानों को बहुत परेशानी है। वहां अगर पानी नहीं मिलता तो किसानों की जरूरत के लिये गल्ला नहीं पैदा हो सकता है। इसके लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जिले में सिंचाई की उचित व्यवस्था करें। इसके लिये मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। जमुना जैसी नदी हमारे उत्तरी अंचल में बहती है। इससे ओगासी और चिल्लीमल लिफ्ट कैनाल योजनायें सरकार ने बनायीं पर खेड़ा कमासिन में उत्तर लिफ्ट कैनाल योजना अगर बना दी जाय तो जमुना का पानी इस्तेमाल हो सकता है और किसानों की सिंचाई की समस्या का कुछ हल हो सकता है।

उद्योगों के क्षेत्र के सम्बन्ध में बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले इन २७ वर्षों में बुन्देलखंड में, बांदा में सार्वजनिक क्षेत्र में या व्यक्तिगत क्षेत्र में कोई औद्योगीकरण नहीं हुआ है। इस वजह से कोई उन्नति नहीं हुयी। शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे जिले में कम से कम ५० से ६० हजार हाई स्कूल से बी० ए०, एम० ए० तक पास लड़के हैं, लेकिन वह बेरोजगार हैं।

हरिजनों की समस्या के बारे में, पूरे देश और प्रदेश में इनके उत्पीड़न की तमाम कहानियां पढ़ने में आती हैं। हमारे जिले में लगभग ४० प्रतिशत आदमी खेतिहर मजदूरी पर

[श्री देव कुमार यादव]

आधारित हैं। और खेतिहर मजदूरी पर खास कर हरिजन लोग आधारित हैं। उनके पास कोई धंधा नहीं है जिसके जरिये से वह सामंती तत्वों से बचकर अपना काम कर सकें। किसी प्रकार का धंधा नहीं है, उद्योग नहीं है कि जहां पर वह काम कर सकें और अपनी जीविका अर्जित कर सकें। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। आज भी सदन के अन्दर बहुत-बहुत क्रांतिकारी कानून पास हुये हैं परन्तु इन कानूनों के बावजूद भी हमारे जिले में अब भी ३० पैसे और २५ पैसे मजदूरी पर लोग गुजर करते हैं।

यातायात सम्बन्धी सुविधा के बारे में मान्यवर, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जमुना-केन नदी पर, प्रधान मन्त्री ने ९ जनवरी, १९७४ में पुल बनाने के लिये शिलान्यास किया था लेकिन यह योजना आज तक पूरी नहीं की गयी जिससे आवागमन में बहुत बड़ी बाधा पड़ती है। इसी तरह सड़कें न होने के कारण जनता को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूंकि मान्यवर, समय का अभाव है इसलिये कुछ बातें और नहीं कहूंगा। औरल से कमासिन वाली सड़क, मान्यवर, इस सड़क के बारे में बुजुर्ग बताते हैं कि जब अकाल पड़ा था तब यह सड़क बनी थी। लेकिन इस सड़क की आज यह हालत है कि इस पर चलना मुश्किल है और लोग खेतों से होकर जाते हैं, कोई मरम्मत आदि नहीं हुयी है। इसी तरह तमाम समस्यायें हैं जिससे औद्योगीकरण के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन की जरूरत है। उद्योगों के लिये मानिकपुर क्षेत्र में वाक्साइट व बांस की टोकरियां, बीड़ी उद्योग और जड़ी-बूटी से चित्रकूट में कारखाने खोले जा सकते हैं। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि पता नहीं बांदा के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार क्यों किया गया है? हमारे बांदा जिले के लिये ट्रान्सफारमर लगाने की योजना प्रस्तावित थी लेकिन पता नहीं कि वह योजना क्यों झांसी चली गयी? इसलिये बांदा में योजनायें लागू की जानी चाहिये।

मान्यवर, इसीलिये बांदा में करबी जिला बनाने की मांग शुरू हो गयी है। पाटा इलाका बहुत ही पिछड़ा है जिसके कारण वहां अलग जिला बनाने की योजना है। जिस तरह पटेल कमीशन बना उसी तरह बुन्देलखंड आयोग बनाया जाय और उसकी रिपोर्ट के आधार पर उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाय।

*श्रीमती श्यामा देवी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने पूर्वी जिले के पिछड़े क्षेत्र के सम्बन्ध में हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी की रणनीति में सहयोग देने के लिये बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे बलिया जिले के श्री काशीनाथ मिश्र जी ने कहा कि बस्ती पूर्वी क्षेत्र में सबसे गरीब जिला है। गरीबी का कारण यह है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला होते हुये भी कोई भी उद्योग धंधा वहां नहीं दिया गया। इस भारतवर्ष में कृषि प्रधान उद्योग है। कृषि प्रधान होते हुये भी इस जिले में कृषि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहीं नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं और बड़ी-बड़ी योजनायें हैं लेकिन बस्ती एक ऐसा अपेक्षित जिला है, जहां इन सारी सुविधाओं को देखा भी नहीं गया। मैं निवेदन करूंगी कि जिस तरह आपातकालीन में हर बात पर ध्यान दिया जा रहा है उसी प्रकार से जिन लोगों ने यहां पिछड़े क्षेत्रों को उठाने के लिये आपको सुझाव दिये हैं उस पर आपत्तिकालीन की दृष्टि से विचार किये जाने चाहिये मान्यवर, वहां की भूमि की सतह पानी के लिये इतनी सुविधाजनक है कि नाखून से कुरेद दें तो भी पानी निकल आयेगा। इसलिये यदि बड़ी-बड़ी खर्चीली योजनायें, ट्यूबवेल और नहरें, पैसे के अभाव की वजह से न दे सकें, तो जहां कहीं गरीबों को छोटी-छोटी भूमि का वितरण करने जा रहे हैं, उनको लघु सिंचाई के लिये कुआं और रहट अवश्य दें। बस्ती जिले में कुयें और रहट, छोटी योजनाओं की जो सुविधायें हैं प्रदान करना जरूरी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, दूसरी चीज कृषि प्रदेश होने पर बस्ती जिला अरहर और धान पैदा करता है लेकिन इन दोनों चीजों के लिये भी किसी शोधशाला से अच्छे बीज नहीं दिये गये। हमारी मिट्टी पन्तनगर में निरीक्षण के लिये भेजी जाती है। हमारे बगल में ही फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय खुला हुआ है। वहां इस काम को तेजी से कराया जाय। हमारे लिये यह भी सुविधाजनक होगा कि वहां का जो धान अनुसन्धान केन्द्र है उसे मजबूत बनाया जाय, जिससे हमें धान के अच्छे बीज मिल सकें। इसी तरह से अरहर के अच्छे बीज भी शोधशाला से मिलने चाहिये। एक भाई ने कहा कि पटेल योजना के अन्तर्गत बहुत से कार्य सोचे गये थे। हमारे यहां फैजाबाद से गोरखपुर होते हुए एक रेल मार्ग बहुत पहले नापा गया था लेकिन वह योजना खटाई में पड़ गयी। टांडा तक जो पहले थी वह भी उखाड़ दी गयी। अगर टांडा से कलवारी तक रेल लाइन दे दें तो इससे वहां की जनता को बहुत लाभ होगा।

उद्योग के लिये मुझे यह कहना है कि सूत उद्योग हमारे बस्ती जिले को मिला लेकिन वह भी खटाई में पड़ा हुआ है। अगर एक सूती मिल वहां स्थापित हो जाय तो वहां के बुनकरों की समस्या हल हो सकती है। २२-२३ प्रतिशत बुनकर वहां हैं। इसी तरह हमारे यहां चमड़ा उद्योग चलता था। यह आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि इतना बड़ा जिला है तो वहां पशु भी काफी होंगे। लेकिन हमारे यहां का चमड़े का शोध केन्द्र तोड़ दिया गया और पश्चिम में ले जाया गया। मेरा निवेदन है कि यह केन्द्र हमारे यहां खोला जाय। हमारे यहां गन्ना काफी पैदा होता है जिसकी खोइया होती है। बांस और घास भी मिलती है। यहां पर एक कागज का मिल चल सकता है। कानपुर से लखनऊ तक अगर आप आयें तो आपको चिमनियां ही चिमनियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें दुख होता है यह कहते हुये कि बस्ती जिले में एक भी चिमनी नहीं दिखाई देती। हमारी तरफ उद्योग के मामले में ध्यान ही नहीं दिया गया। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे क्रान्तिकारी मुख्य मन्त्री जी इस तरफ ध्यान देंगे।

इसके अलावा हमारा क्षेत्र बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि वहां तमाम नदियां हैं जो नौगढ़, बांसी, खलीलाबाद, हरैया तहसीलों को प्रभावित करती हैं। यहां अगर कोई बांध बना दिया जाय तो उससे आपको बिजली मिल सकती है और लोगों को बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सकता है। घाघरा पर पहले एक योजना बनी थी कि लोग कलकत्ते तक जहाज से जाया करेंगे। अगर घाघरा को गहरा कर दिया होता तो बस्ती जिला बाढ़ से बच जाता। एक भाई ने कहा कि गांवों को ऊंचा किया जाय जो बाढ़ के पानी से प्रभावित होते हैं। यह बहुत अच्छा सुझाव है। बाढ़ के बाद सबसे पहला काम हमारे यहां राहत पहुंचाने का होना चाहिये। गांव ऊंचे किये जायं और सड़कें बनायी जायं। इन शब्दों के साथ मैं चाहती हूं कि मुख्य मन्त्री जी इन सुझावों पर विचार करें और तत्काल ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कोई कमेटी बना दें।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ऐसे जिले की तरफ निगाह डाली जो बहुत दिनों तक इसी सस्पेंस में था कि वह पूरब में है या पश्चिम में। इसकी एक अजीब गाथा रही है और बहुत दिनों के बाद यह माना गया कि यह पूर्वी जिला है। आप जानते हैं कि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ की एक ही स्थिति है। सुल्तानपुर में गोमती नदी बहती है तो प्रतापगढ़ में सई नदी बहती है। एक बात और है जिस तरह से बलिया, गाजीपुर की तरफ से आवाज लगाई जाती है, सुल्तानपुर जिले की तरफ से यह आवाज नहीं लगाई जाती इसका भी एक कारण है और वह यह है कि यह भाग अवध में स्थित है। जिसकी अपनी एक परम्परा है और एक विशेष कल्चर है। हम लोग सूखी रोटी खाते हैं और पूड़ी का प्रदर्शन करते हैं यहां नवाब साहब फाका कियें हों तो शेरवानी पहन कर निकलते हैं। हम अपनी गरीबी का इजहार अपने पड़ोसी पर भी नहीं करते हैं। मैं आज इस संस्कृति को छोड़

[श्री अम्बिका प्रसाद सिंह]

कर इस सदन में पहली बार यह कहना चाहता हूं कि हमारा जिला बहुत गरीब जिला है और यह जिला मूक अवस्था में भी अपनी गरीबी का इजहार नहीं करता। मैं इस सम्बन्ध में एक घटना बताना चाहता हूं।

संविद सरकार का जमाना था, हम लोग गांवों में जाते थे। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता मिले और कहने लगे कि मेरे गांव का एक आदमी मर गया। मैंने कहा कि दवा नहीं मिली होगी क्योंकि इस धन्वतरी के देश में बहुतों को दवा नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है बल्कि हमें अपने पड़ोसी का भी हाल नहीं मालूम होता। जब उसकी औरत रोने लगी तब मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मर गया। उसकी औरत ने कहा कि दो दिन से खाना नहीं खाये थे। ऐसी जहां परिस्थिति हो कि हम अपने पड़ोसी पर भी अपनी गरीबी का इजहार न करते हों तो इसी शंका में आदमी रहेगा कि यह गरीब है या अमीर। मान्यवर, जहां और दूसरे जिलों में इन्टरमीडिएट कालेज आदि खुले हों और भी बड़ी-बड़ी प्रगति हुई हों, इस अनुपात में हमारे यहां मान्यवर, कुछ भी नहीं हुआ है। गोमती का हमारा इलाका पानी की निचाई का इलाका है। ६० फीट पानी नीचे है इसलिये यहां ट्यूबवेल की जरूरत है। हमारे यहां पानी का अभाव हमेशा रहा। हमारे क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं है और एक है तो कंकड़ की। इस क्षेत्र का हिस्सा ४-५ मील का पक्का है अवश्य क्योंकि वह सड़क गिरजा प्रसाद पांडे जी ए. पी. सी. के घर तक गई है। कहने का मतलब यह है कि कि कोई भी प्रगति का काम नहीं किया गया।

जैसा श्री काशीनाथ मिश्र जी ने कहा कि ऐसा समन्वय किया जाय कि जहां प्रगति नहीं हुई, उनके लिये एक संतुलित योजना बनाई जाय। हमारा जिला अत्यन्त पिछड़ा एवं गरीब है। मेरा क्षेत्र तो जौनपुर रोड पर भी नहीं पड़ता रहा कि वहां तक सड़क बन जाती। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि पिछड़े जिलों के लिये एक संतुलित योजना बनाई जाय वहां एक ऐसी व्यवस्था मान्यवर बन जाय ताकि हर क्षेत्र को थोड़ी-थोड़ी तरक्की करने का रास्ता मिल जाय।

मान्यवर, सिंचाई की जहां व्यवस्था हो वहां बाढ़ आये तो तालाब और झीलें जहां हैं वहां ड्रेन की आवश्यकता है, वहां ड्रेन की व्यवस्था कराई जाय वर्ना फसलें नष्ट हो जायेंगी। सुल्तानपुर में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने सुझाव रखता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें ताकि सबको मौका मिल सके।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा काशीनाथ मिश्र ने कहा पिछड़े इलाकों की अपनी समस्यायें हैं। यों तो सारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है और उसके विकास के लिये तीव्र गति की आवश्यकता है लेकिन पिछड़ेपन का एक कारण तो सरकारी नीति भी है और वह यह कि पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जो योजनायें हैं उनका सही कार्यान्वयन नहीं हो पाता। लोगों को सुविधा प्राप्त न होने से बहुत गड़बड़ी हो रही है और सरकार अथवा प्लानिंग कमीशन पिछड़े इलाकों की तरक्की के लिये जो करना चाहती है, वह नहीं हो पा रहा है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े जिलों में है। ३४ ऐसे उद्योग हैं जिनको भारत सरकार ने तय किया कि इनका रजिस्ट्रेशन न किया जाय लेकिन प्रदेशीय सरकार के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्योग विभाग ने उन उद्योगों की अपने लक्ष्यों में सम्मिलित कर लिया अब जो निजी उद्योग लगाने वाले हैं उनको आप प्रोत्साहित करते हैं कि वह उनको लगायें, उनका रजिस्ट्रेशन होगा लेकिन जब वह रजिस्ट्रेशन के लिये एप्लाई करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। तो आखिर यह स्थिति क्यों कर है ?

मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि औद्योगिक दृष्टिकोण से जितने जिलों को पिछड़ेपन के कारण शामिल किया गया है उनके लिये कैपिटल सबसिडी स्कीम उद्योग लगाने के सिलसिले में व्यवस्था की गयी है। इसमें मीडियम, लार्ज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज शामिल की गयी हैं। अगर समस्त पिछड़े जिलों की गरीबी को दूर करना है तो कृषि के विकास के साथ-साथ उद्योगों का भी विकास करना आवश्यक है और इसके लिये मेरा सुझाव है कि कम से कम बड़े और मझोले उद्योगों पर कैपिटल सबसिडी न लगाई जाय और जो छोटे उद्योग हैं पिछड़े इलाकों में उन में कैपिटल सबसिडी लगे ।

जैसा काशीनाथ मिश्र ने कहा है मैं उनसे सहमत हूं कि हम विधायक जब मंत्रियों को पत्र लिखते हैं तो अधिकतर उनका जवाब नहीं आता। जो सेक्रेटेरीज हैं वे मंत्री, विधायकों के पत्र का उत्तर नहीं देते और ऐसा लगता है कि चिकने घड़ों पर पानी बह गया। कोई असर नहीं होता। मुख्य मंत्री को लिखते हैं तो भी कोई असर नहीं होता । यह हालत है सरकारी दफ्तरों की कि विधायकों के पत्रों पर ४,५ महीने तक कोई कार्यवाही नहीं होती। ऐसी हालत में पिछड़े इलाके के जो विधायक हैं वे अपने क्षेत्र के लिये कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ? इसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे पास यह सेक्रटेरियट मैनुअल है। इसके चैप्टर ८ में डिपार्टमेंटल रिटर्न की व्यवस्था की गयी है। ये डिपार्टमेंटल रिटर्न्स हर डिपार्टमेंट के हेड्स को, और हर डिपार्टमेन्टल हेड्स सम्बन्धित मंत्री को हफ्तेवार दिखायेंगे और उनमें यह दिखाया जायेगा कि उन्हें कितने पत्र प्राप्त हुये, कितने पत्रों का उन्होंने जवाब दिया, कितनों को जवाब नहीं दिया, कितने मामले उनके पास निपटाने के लिये और कितने मामले नहीं निपटाये। इसी तरह से इस मैनुअल में व्यवस्था की गई है है कि वीकली स्टेटमेंट. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

इसको तो आप लिखकर दे दें।

श्री बिमल प्रसाद तिवारी--

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो व्यवस्था इस मैनुअल में की गई है उसे लागू किया जाय तो उससे काफी सुविधा हो जायेगी। इन शब्दों के साथ में मांग करूंगा कि पिछड़े इलाकों की गरीबी दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि शासन-तंत्र को इस तरह बनाया जाय जिससे वह सुचारु रूप से चल सके ।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)--

अध्यक्ष महोदय, पिछड़े क्षेत्रों में पर्वतीय अंचल की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पर्वतीय अंचल में जो नया आवाद ऐक्ट था वह रिपील कर दिया गया है और गवर्नमेंट ग्रान्ट ऐक्ट वहां पर लागू कर दिया गया है जो कि सारे प्रदेश में है। उसके तहत वहां पर भी भूमि उपलब्ध की जा रही है। वहां पर यदि कोई स्कूल, भवन या गौशाला के लिये जमीन लेता था तो उस नया आवाद ऐक्ट के तहत ग्रान्ट दी जाती थी लेकिन उसे अब रिपील कर दिया गया है। उसके रिपील होने के बाद उस चट्टानी भूमि के लिये भी १२०० रु० प्रति एकड़ की दर निश्चित कर दी गई है, लीज के रूप में। प्रीमियम अलग से लिया जाता है ४ सौ, ५ सौ रुपया, इसके लिये पटवारी निर्धारित करता है। उसके ऊपर ६० रुपये प्रति नाली यानी १२०० रुपये प्रतिवर्ष लीज ली जाती है।

[श्री गोविन्द सिंह मेहरा]

मेरा कहना यह है कि यह बहुत अधिक है। इसे कम होना चाहिये। मैं माननीय माल मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो पहले नया आवाद ग्रान्ट ऐक्ट था उसको रिवाइव करने की कृपा करें।

दूसरी चीज मैं माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पर्वतीय अंचल में भूमि का सर्वेक्षण का काम किया गया है, बल्कि वह सारे उत्तर प्रदेश में चालू किया गया है। यह कार्य इटावा जिले से चालू किया गया। लेकिन जो पैटर्न इटावा जिले का है उसी पैटर्न को पर्वतीय अंचल में भी लागू किया जाता है। वहां पर जो भूमि पर इरोजन है उसका रूप दूसरे प्रकार का है। वहां ५० या १०० फीट तक लैंस्लाइड होता है, ३ फुट, ६ फुट की दीवालें देने की बात कही जाती है। यह पैटर्न हमारे पर्वतीय अंचल में नहीं चल सकता है।

इसलिये मैं माननीय कृषि मंत्री से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि वहां पर हार्टिकल्चर के क्षेत्र में भी काफी तरक्की हो सकती है। अगर वहां पर हार्टिकल्चर पनपेगा तो चकबन्दी वहां की जानी चाहिये। कुछ लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र में चकबन्दी नहीं होनी चाहिये लेकिन मैं चकबन्दी कराने का हिमायती हूं और अल्मोड़े में, विशेष रूप से मेरे क्षेत्र रानीखेत में चकबन्दी शुरू की जाय।

इन्डस्ट्री के सिलसिले में मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उसने अल्मोड़े जिले को १५ फीसदी सब्सिडी दी है और ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में ५० फीसदी सब्सिडी दी है लेकिन जो वहां की डिफीकल्टी है वह यह है कि पिछड़ा क्षेत्र होने के लिये यू० पी० एफ० सी० से जो लोन मिलता है ५०० रु० के लिये भी उसे कानपुर आना पड़ता है। पहाडी अंचल से ४००, ५०० या एक हजार रुपये के लोन के लिये एक आदमी को कानपुर आना पड़ेगा और उसके लिये उसे कितना खर्च करना पड़ेगा यह आप समझ सकते हैं। जिस तरह से यू० पी० एफ० सी० को आपको लोन देने की एजेंसी है उसी तरह की एक एजेंसी आप पहाड़ों के लिये अलग से बना दें जो पहाड़ों के लिये लोन देने का काम करे। हमारे यहां के इन्डस्ट्रियलिस्ट को वही सुविधायें मिलती हैं जो कि एक उन्नाव जिले वाले को मिलती हैं, इसलिये पहाड़ी अंचल के लोग इन्टर-पिन्यार नहीं हो पाते हैं। मैं आपके आध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वही माप दंड पहाड़ी अंचल के लिये रखेंगे तो पांच सौ या एक हजार के लिये वहां से लोग लोन लेने के लिये कानपुर नहीं आयेंगे।

अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में रेलवे के साधन नहीं है और न ही कोई जल मार्ग ह। आज वहां पर यह स्थिति है कि लोग बकरी के पीठ पर या हेड लोड से सामान ले जाते हैं। इसलिये वहां के लिए सड़कों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। उसके लिए सरकार को उदार होना होगा। इसी तरह से स्कूलों के मामलों में भी सरकार को उदार होना पड़ेगा।

श्री रामलाल राही––

अध्यक्ष जी.....

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)––

लखनऊ के लिये भी समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष––

मिलेगा, आपको भी समय मिलेगा। (व्यवधान) ५ बजे तक सब को समय मिलेगा।

*श्री रामलाल राही––

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, सीतापुर जनपद प्रदेश के उन ३६ जिलों में से है जिनको प्रदेश सरकार ने उद्योग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया है। मान्यवर, अगर सीतापुर को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उसे तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो गांजरी का क्षेत्र जो कि निचला हिस्सा है जहां पर नदियां ज्यादा हैं और वहां पर केवल एक फसल होती है जो कि रबी की फसल है। खरीफ की फसल तो बाढ़ में बह जाती है। दूसरा क्षेत्र है मध्य का इलाका जिसमें दोमट जमीन है जहां पर गन्ना, धान और दूसरी फसलें होती हैं। तीसरा भूड़ का इलाका पड़ता है जिसमें मूंगफली की पैदावार होती है। मान्यवर, इस तरीके से जब हम देखते हैं तो निचले हिस्से में गन्ना और जूट होता है और भूड़ के इलाके में मूंगफली की पैदावार होती है। सौभाग्य से हमारे जिले में गन्ने की खपत के लिये ३ चीनी मिलें हैं जो कि जून के आखीर तक चलती हैं, लेकिन तब भी गन्ना खेतों में खड़ा रह जाता है और पूरा गन्ना पिर नहीं पाता है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने एक और चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में देने के लिये कहा है उनको लगाने का प्रयास हो रहा है, संभव है कि वह जल्दी ही लग जायेगी।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां भूड़ के इलाके में मूंगफली बहुत पैदा होती है उसके लिये दुर्भाग्य से हमारे यहां केवल एक ही वेजिटेबल आईल फैक्ट्री है जो कि वहां की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाती है। इसलिये वहां से सारी मूंगफली बाहर चली जाती है, बल्कि प्रदेश से बाहर चली जाती है जहां पर कि वेजिटेबल फैक्ट्रीज हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा हमारा जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है वहां पर एक और कारखाना बेजिटेबल आईल का दिया जाय जिससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो वहां मूंगफली होती है उसकी भी खपत हो जायेगी।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो मूंगफली के छिलके हैं वह आज से १०, १५ साल पहले वैसे ही फेक दिये जाते थे, जलाने के काम में आते थे, खाद आदि के काम में आ जाते थे, गड्ढे पाटने के काम में आ जाते थे, किन्तु अब वे दूसरे कामों में भी लाये जाते हैं। अतः मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में रिसर्च किया जाए तो इसकी कार्डबोर्ड या दफ्ती बनाई जा सकती है। शासन इस पर प्रयास करे, तो छिलके की भी अच्छी खपत हो सकती है।

हमारे यहां एक सबसे बड़ी कमी सिंचाई के साधनों की है। नहरें हैं कुछ ट्यूब वेल्स भी बनाए गए हैं, लेकिन वहां जितने चाहिये, उतने नहीं हैं। मैं अब सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा जो इस समय यहां नहीं हैं कि जब वह सिंचाई के साधन बांटने बैठते हैं तो कुछ जिलों में २०–२० और २५–२५ ट्यूब वेल जरूर दे देते हैं, लेकिन कुछ जिलों को वह बिलकुल छोड़ देते हैं। इसलिये वह इस पर ध्यान दें। हमारे ऐसे जिले में जहां मिट्टी अच्छी है, आप सिंचाई के साधन उपलब्ध करा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। मेरे जिले में सिंचाई के साधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध होने पर पैदावार ज्यादा बढ़ सकती है और गरीबी दूर की जा सकती है।

हमारे यहां सड़कों की भी बहुत कमी है। गांजर का जो निचला इलाका हैं वहां तो सडकों की और भी ज्यादा कमी है। सीतापुर बड़ागांव–मितौली सड़क पूरी तरह से बननी चाहिये। बड़ागांव से मितौली तक सड़क तो बन गई है, लेकिन सीतापुर से बड़ागांव तक अभी नहीं बनी है, उसे बनना चाहिये, उसके बनने से सीतापुर बड़ागांव–मितौली सड़क कम्पलीट हो जाएगी और उससे जिले की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह से सीतापुर से कचदा और कचदा से गोला तक भी सड़क पूरी होनी चाहिये और सीतापुर से तम्बौर और तम्बौर से लहरपुर तक की भी सड़क अवश्य बननी चाहिये। मेरा पुनः अनुरोध है कि आप मेरे जिले पर पूरा ध्यान दें।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस प्रस्ताव के ऊपर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं गाजीपुर जिले से आता हूं और उसके जितने निकटवर्ती जिले हैं जैसे बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ आदि वहां नदियों का जाल सा बिछा है और उनके

[श्री रघुबीर]

फलस्वरूप प्रति साल किसी न किसी भाग में इतनी तेज बाढ़ आती है कि ये जिले लगातार बर्बाद होते रहते हैं। यह अपनी बर्बादी से कभी भी पनप नहीं पाते हैं और आज तक उनको बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये कोई मुश्तकिल रोक-थाम का जरिया नहीं हो सका है। पूर्व में खास तौर से बड़ी गहन आबादी है और वहां पर गरीब मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। पूरे देश में और खासकर जहां औद्योगिक नगरियां हैं, वहां के लोग मजदूर के रूप में आपको काम करते मिलेंगे। इतना नहीं देश के बाहर—अफ्रीका आदि देशों में भी पूर्वी अंचल के लोग मजदूरी करते मिलेंगे। इसका मूल कारण यह है कि पूर्वी जिलों में कोई कल कारखाने नहीं हैं, जिनमें गरीब लोग मजदूरी करके अपने खाने की व्यवस्था कर सकें।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि गाजीपुर ऐसा जिला है, जहां आज तक कोई भी कारखाना नहीं लगा है। वहां सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की एक अफीम फैक्ट्री है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक रेलवे ब्रांच लाईन है, इसके अलावा कोई यातायात का साधन भी नहीं है। इसलिये पूर्वी जिलों में—गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़ आदि जिलों में उद्योग खड़े किए जायं। मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर इन तीन जिलों की जमीन पर भारी पैमाने पर रेह पैदा होती है जिसके कारण कोई कृषि उत्पादन नहीं हो पाते हैं। अगर इन तीनों जिलों में शीशे के कारखाने खोले जायं तो इन जिलों की बड़ी भलाई हो सकती है। मैं यह सुझाव बराबर सरकार को देता हूं, लिख कर देता हूं और हाउस में भी कहता हूं लेकिन इस पर पता नहीं क्यों सरकार का ध्यान नहीं जाता है।

दूसरे, वहां पर सड़कों की हालत ऐसी है कि कंकड़ से बनी हुई है। चार साल से कंकड़ पड़ा है। उसके बाद से कंकड़ भी नहीं पड़ा। सड़क खंदक सी बन गई है। उस पर पब्लिक की गाड़ियां और रोडवेज की गाड़ियां चलते—चलते बन्द हो जाती हैं। जिससे मुसाफिरों को यातायात में बड़ी कठिनाई होती है। जिले में तारीखें छूट जाती हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम गाजीपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग को ध्यान दिलाएं कि उन सड़कों की काफी तेजी के साथ देख-रेख की जाय। सरकार उन सड़कों को बनाने के लिये इजाजत दे।

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस अहम् विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। शाहजहांपुर जिला, हमारे डिवीजन का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। डिवीजन हमारा पिछड़ा नहीं है लेकिन जिला पिछड़ा है। उसकी वजह यह है कि १९४७ सेआज तक हमारे जिलें का कोई आदमी मंत्रिमंडल में नहीं आया, जो अपने जिले की तरफ सरकार का ध्यान दिलाता जब कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारे जिले की थी। हमारे जिले के तीन आदमियों को काकोरी केस में फांसियां हुई थी। ये थे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, और ठाकुर रोशनसिंह। लेकिन हमारे जिले पर तवज्जह नहीं हो रही है, जबकि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा हाथ हमारे जिले का था। इसका मुझे बहुत अफोसस है। आजादी हमारी वजह से मिली है और हम पर ही तवज्जह नहीं दी जाती।

ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां पर मौजूद हैं, इस लिए ऐग्रीकल्चर से ही पहले शुरू करता हूं। सीलिंग आफ होल्डिंग्ज ऐक्ट के छोटी—छोटी जमीने छोटे—छोटे हिस्सों में तकसीम की जायंगी इस लिए एकदम से पैदावार कम होने का खतरा है। असेम्बली में मिसाल दी गयी थी कि जापान के ढंग पर ऐग्रीकल्चर करने का इरादा है। मेरा जिला उन जिलों में है जहांपर बड़े-बड़े फार्म थे। उन पर सीलिंग से खेती एकदम खत्म हो गयी। खेती छोटे—छोटे किसानों में बांटी जा रही है। न वे ट्यूबवेल लगा सकते हैं और न ही ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। लेकिन चूंकि सरकार ने फैसला कर लिया है,सीलिंग का, उसने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है छोटे काश्त-

कारों की खेती को डेवलप करने के लिये ताकि वह कायदे से खेती कर सकें। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस वर्ल्ड बैंक से जो लोन मिल रहा है इसमें हमारे जिले का भी काफी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि हमारा जिला अब तक गेहूं प्रदेश भर को दिया करता था। बड़े-बड़े फार्म के खत्म होने की वजह से प्रदेश की पैदावार पर असर पड़ेगा।

दूसरे जिले में सिचाई साधनों के लिये सिंचाई मंत्री जी को मैंने लिखा था। फरवरी में उस पर उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी। एग्जीक्युटिव इंजीनियर, कैनाल ने प्रोपोजल बना कर गवर्नमेंट को भेज दिया जो चीफ इंजीनियर के यहां पड़ी हुई है। मालूम हुआ है कि सिंचाई के बजट में बहुत जबरदस्त कटौती होने जा रही है। इसलिए कुछ काम होना सम्भव नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस ओर ध्यान दें और मेरे जिले के कामों में कटौती न करें। वह पिछड़ा हुआ है। वहां कोई बड़ा कारखाना नहीं है, सिवा भारत सरकार की आर्डिनेंस फैक्ट्री के। उसके अलावा कोई फैक्टरी नहीं है। बेरोजगारी और आजादी की लड़ाई में हमारी कुर्बानियों को देखते हुये वहां भी बड़ा कारखाना लगवाने की कृपा करें, जैसे कि रायबरेली, झांसी, लखनऊ और इलाहाबाद वगैरह में लगाये जा रहे हैं।

जब मैं ६४–६५ में यहां पर था तो वहां पर भारत सरकार की एक टीम गयी थी और राज्य सरकार के लोग भी गये थे, लेकिन आज कुछ हुआ नहीं। आज जब ७४ में आये तो यही सुन रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। वैसे मैंने समझ लिया था होना तो कुछ है नहीं लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारे यहां पर कोई कारखाना एलाट कर दिया जाये जैसा कि रायबरेली, इत्यादि जिलों में स्थापित किए गये हैं।

*श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया। मैं फर्रुखाबाद के कमाल गंज से आता हूं। इन्डस्ट्रीज के लिये जो ३६ जिले लिए गये थे उनमें फर्रुखाबाद भी आता है। कमाल गंज में सबसे अधिक आलू की पैदावार होती है। इस वर्ष इतना अधिक आलू पैदा हुआ और वह सड़ गया जिससे लगभग १५ करोड़ रुपये का नुकसान इस साल हुआ। माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, हमारे यहां तरबूज भी बहुत अधिक पैदा होता है। इस साल आलू की जो दशा हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी को लेटर भी लिखा है कि यहां पर कोई कारखाना खोल दिया जाये, जो आलू के चिप्स वगैरह बनाने का काम करे।

इसके साथ ही साथ मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि छिबरा मऊ में मूंगफली बहुत अधिक पैदा होती है वहां पर एक बनस्पति का कारखाना खोल दिया जाये तो बहुत अधिक सुविधा होगी। हमारे यहां पर एक चासर है वहां पर ३० गांव हैं और वे बरसात में चारों ओर से भर जाते हैं और वह एक टापू की भांति हो जाता है। वहां पर लोगों के आने जाने का कोई साधन नहीं रह जाता है। हमारे यहां सिंचाई के साधन भी बहुत कम हैं यहां पर जो नदियां हैं उन पर लिफ्ट योजना चालू की जाये तो सिंचाई की समस्या कुछ हल हो सकती है। हमारे यहां बीड़ी मजदूरों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। उन्हें काम नहीं मिल पाता है। मैं चाहता हूं कि इस ओर भी सरकार कुछ ठोस कदम उठावे। मैं इन सब चीजों की मांग आपके जरिए से करता हूं।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, जब सूबों का निर्माण हो रहा था तो यह बात सामने आयी थी उत्तर प्रदेश को बुन्देलखंड को और मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड को मिला कर एक अलग प्रदेश बना दिया जाये। जहां हरदौल का चबूतरा बना हुआ है, वह सारा बुन्देलखंड का इलाका है। चाहे कृषि हो, चाहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र]

उद्योग हों, सभी मामलों में यह इलाका पिछड़ा हुआ है। यहां पर एक आन्दोलन चल रहा है कि हमारे इस प्रदेश को अलग बना दिया जाये और जिसे आगे बढ़ने का मौका मिल सके।

मान्यवर, बुन्देलखंड की एक समस्या है। वहां पर जमीन बहुत है। दूसरे जिलों की जनसंख्या के मुकाबले यहां की जनसंख्या बहुत कम है। हमारी मांग है कि जमीन की इस अधिकता को देखकर उसके लिये जो जरूरत की चीजें हैं, उनको जुटाया जाय, वहां पर सिंचाई के साधन बढ़ाये जायं और सड़कों का निर्माण कराया जाय लेकिन इन मांगों में से हमारी एक भी मांग पूरी नहीं होती है।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है मेरी प्रार्थना है कि बुन्देलखंड की ओर ध्यान दिया जाय। हमारे यहां पर पूरे क्षेत्र के लगभग १४ प्रतिशत में सिंचाई हो पाती है और उसमें भी अगर जालौन, जिसमें अपेक्षाकृत ज्यादा सिंचाई होती है, झांसी में लगभग १२ प्रतिशत और हमीरपुर में लगभग १० प्रतिशत ही सिंचाई होती है। हमारी एक और परेशानी है। हमारे प्रदेश का बुन्देलखंड जो इलाका है, उसमें जितनी भी नदियां आती हैं, उन सबके उदगम् मध्य प्रदेश में हैं। जब उनमें कोई बांध बनाने का सवाल आता है तो मध्य प्रदेश का सहारा लेना पड़ता है और उसमें बहुत बड़ी परेशानी आती है।

उदाहरण के तौर पर हमीरपुर में एक उर्मल बांध बन रहा था। उसमें ९ करोड़ की लागत लगनी थी। दोनों प्रदेशों की सरकारें बैठीं और निर्णय हुआ कि जो जल होगा उसका ६० प्रतिशत मध्य प्रदेश की सरकार लेगी और ४० प्रतिशत उत्तर प्रदेश को मिलेगा, प्रयोग के लिये लेकिन जब खर्च का सवाल आया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि उनके खर्चे का यह अनुपात नहीं था क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि वह बांध बनाना ही खटाई में पड़ गया। अब शायद हमारी सरकार लिफ्ट इर्रीगेशन करने का इरादा कर रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बांध बनाने का मामला मध्य प्रदेश और हमारी सरकार के बीच में उलझ जाता है और यह इलाका सूखा रह जाता है।

R.A. 8015

हमारे इलाके में केन, बेतवा और वर्मा नदियां हैं जिनमें मीलों पानी रहता है। अगर उनसे लिफ्ट इर्रीगेशन किया जाय तो हमको कम लागत में ज्यादा लाभ हो सकेगा। मौदहा में और हमीरपुर में खेर में केन नदी की अथाह धार है, यहां से हमें बहुत अधिक पानी मिल सकता है और सिंचाई हो सकती है लेकिन उस योजना को पता नहीं क्यों सरकार बराबर टालती रही है, उसकी ओर सरकार का क्यों ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे इलाके में एक मौदहा कस्बा है। वहां पर गर्मियों के दिनों में ६–६ और ८–८ दिन पानी नहीं पहुंच पाता है, सारा कस्बा पीने के पानी के कारण तबाह हो जाता है। इसके अलावा हमारे यहां पर ४० गांव ऐसे हैं जहां पर पिछले साल तो टैंकर्स से पानी दिया गया था लेकिन इस वर्ष किसी भी प्रकार से उन गांवों को पानी नहीं मिल सका है। मेरी प्रार्थना है कि वहां के लिये सरकार एक जल योजना बनाये।

हमारे क्षेत्र में वन गायों की भी समस्या है। मैंने अपने कृषि मंत्री एवं मुख्य मंत्री जी को भी लिखा कि इनके लिये कुछ प्रबन्ध किया जाय, २–३ साल हो गये इस प्रकार के प्रयास करते-करते लेकिन वह समस्या आज तक भी दूर नहीं की गई।

हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदियों पर पुल बन रहे हैं लेकिन १० वर्ष हो गये, हम बराबर पूछते रहते हैं कि इनका निर्माण समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, हमारे इन्जीनियर्स कहते हैं कि उन्हें इक्विपमेंट और जो आवश्यक साज–सज्जा है, वह प्राप्त नहीं हो रही है। मान्यवर, बरसात की ऋतु में इनके पाट इतने लम्बे हो जाते हैं कि ६–६ दिन तक उतारा बन्द हो जाता है। हेडक्वार्टर्स पर पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु चर्चा आयोजित की। मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, "पिछड़े हुए क्षेत्र" की परिभाषा मेरी समझ में यह है कि जिस क्षेत्र की भूमि पर आबादी का घनत्व बहुत अधिक हो, किन्तु वहां की जनता के लिये सुखमय जीवन व्यतीत करने का कोई भी साधन उपलब्ध न हो—वही क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र होता है।

मान्यवर, इस प्रदेश के पूर्वी जिले जहां पर मंगल पांडेय जैसे व्यक्ति ने पहले पहल स्वतंत्रता और आजादी का चिराग जलाया था—ये वे पूर्वी जिले हैं जो सर्वदा से पिछड़े हुए रहे हैं और अंग्रेजों ने इनका "कुली जिले" नाम रखा था। यहां के आदमी इतने अधिक संख्या में हैं कि कीड़ों के समान यहां चारों तरफ बिलबिलाते हैं और उनको अपनी जीविका के लिये फिजी और अंडमान टापू तक, दुनियां के कोने-कोने में उनको जाना पड़ता है। गाजीपुर में हमारे विश्वनाथ गहमरी हुए थे, उनके कहने पर पार्लियामेन्ट में भारत सरकार का हृदय पसीज उठा और एक पटेल आयोग बना। उसकी योजना अनुसार बस्ती जिले में भी जो कि पूर्वी क्षेत्र का सबसे पिछड़ा जनपद है और जिसकी आबादी लगभग ३३ लाख है, जो कि कम नहीं है—मैं समझता हूं सभी जिलों से करीब उसकी आबादी अधिक होगी—उस बस्ती जिले के लिये भी यह योजना चालू की जायगी यह सुनाई पड़ा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, यह कथन केवल मृग—मारीचिका सा ही सिद्ध हुआ।

मैं समझता हूं कि भारत सरकार और हमारी प्रान्तीय सरकार हमारे योग्यतम मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर ध्यान देगी कि बस्ती जिले का विकास हर प्रकार से सर्वांगीण रूप से हो सके। मान्यवर, बस्ती जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हिमालय की तराई का जो क्षेत्र है उसके किनारे के जिलों में पहाड़ों से अनगिनत नदियां और नाले आते हैं और वह बड़ी नदियों के सहायक हो जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में घाघरा और राप्ती आदि बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां जैसें बस्ती जिले की बूढी राप्ती, बान—गंगा, गंडक आदि हैं जो इनकी सहायक नदियां बनती हैं। ये सहायक नदियां अपने—अपने क्षेत्रों में किनारों पर वर्षा—काल में भीषण तबाही का कारण बन जाती हैं। बस्ती जिले के लिये बाढ़ एक स्थायी समस्या सी बन गयी है। सबसे पहले तो बस्ती जिले की जो बाढ़ समस्या है उससे मुक्त करने के लिये मैं सरकार से मांग करता हूं। साथ ही आज वहां पर कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर एक स्थान से दूसरे स्थान एक बस का आवागमन हो सके, क्योंकि सड़कें बाढ़ के द्वारा हर साल कट जाती हैं, जैसे कि डोमरियागंज से बढ़नी की सड़क है, नौगढ़ से बांसी की सड़क है, बांसी से बस्ती की सड़क और बांसी से बिसकोहर की है, इटवा से बेलवा की सड़क। ऐसी अनेक सड़कें हैं जो कट चुकी हैं। इन सड़कों को अविलम्ब बनाकर इन पर सबसे पहले ध्यान दिया जाय। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में बस्ती जिले के सुदूर उत्तर—राप्ती भाग में पूरब—पश्चिम आने जाने की बहुत कम सड़कें हैं जैसे झकहिया—होरिलापुर सड़क और सेमरी-खानकोट-सोहना सड़क उन पर भी ध्यान दिया जाय।

साथ ही बस्ती के उत्तरी भाग में अस्पताल नहीं हैं। यदि हैं भी तो उनके भवन नहीं हैं। तो अस्पताल बनवाने पर ध्यान दिया जाय, जैसे कठेला तथा बिसकोहर में अस्पताल के भवन बनवाये जायं। मैंने कहा था, अपने पिछले भाषण में, कि बस्ती जिले के उत्तरी क्षेत्र में एक शुगर फैक्टरी थी, बढ़नी में। वह वहां से उखड़ कर चली गयी और अब वहां कोई उद्योग—धन्धा नहीं है। मैंने यह मांग की थी सरकार से कि वहां एक कागज की फैक्टरी लगायी जाय क्योंकि इसका कच्चा माल वहां उपलब्ध हो सकता है। इधर ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही बस्ती जिले के उत्तरी भू—भाग में जो सड़कें नहीं हैं उनको अविलम्ब बनाया जाय। यह हमारी मांग अरण्य रोदन न साबित हो, मैं आपसे केवल यही आग्रह करूंगा।

*श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष जी, पिछड़ेपन पर यहां जो चर्चा चल रही है, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से माननीय बीरेन्द्र वर्मा ने काशीनाथ जी को एक बात पर टोका था और मैं समझता हूं कि पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण यह है। बहुत से लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी भरी हुई है कि पूर्वी जिलों के लोग काहिल हैं, काम कम करते हैं। बहुत सी पुस्तकें ऐसी लिखी गयी हैं जिनमें भी यही बात लिखी गयी है। उनकी जानकारी के लिये मैं बता देना चाहता हूं कि आप वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, मलाया, सिंगापुर, वर्मा, आसाम और नेफा के इलाकों में चले जायें, हजारों की तादाद में जौनपुर, बलिया गाजीपुर के लेबरर्स ने जा कर वहां अच्छी-अच्छी कालोनीज बनायीं, सारे मुल्क का कायापलट कर दिया। आज भी माननीय रामगुलाम, प्रधान मंत्री, वगैरह इन्हीं इलाकों से गये हैं। तो हमारे मंत्रिगण अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल दें। असलियत यह है कि जितने भी पूर्वी जिले हैं वह अंग्रेजों के जमाने में जानबूझ कर पिछड़े रखे गये क्योंकि जितने भी विद्रोह हुये, इतिहास उठाकर आप देखें, उनमें पूर्वी जिलों ने जो रोल अदा किया है वैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने बार-बार यह दोहराया है लेकिन अफसोस यह है कि हमारे मंत्रिगण उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यह नहीं कि हमारे पास साधन नहीं हैं बल्कि हमारी दृष्टि ही नहीं है। केवल एक डेयरी प्रोडक्ट्स से ही नार्वे, स्वीडन और आस्ट्रेलिया सारी दुनियां में दूध, पनीर और दूध से बनी हुई चीजें निर्यात करते हैं और उनकी सारी एकोनामी इस पर बेस्ड है। हमको बताया जाता है कि पैसा नहीं है इसलिये उद्योग नहीं लगाये जा सकते हैं इसीलिये पिछड़ापन बना हुआ है। प्रगति करना और औद्योगीकरण तो बड़ी दूर की चीज है, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, डेवेलपमेंट का वह भी पूर्वी जिलों के इलाके में नहीं हो पाया। पटेल कमीशन की और बातों को तो आप छोड़ दें, जिन सड़कों और पुलों के निर्माण की बात उसने की थी वहां जो मंत्रिगण बैठे हुये हैं उनमें से कोई खड़ा हो कर कह दे कि उनमें से एक भी सड़क ऐसी बनी है जिसमें उद्योग की दृष्टि से कामयाबी हो सके।

मैं चाहूंगा कि जो सरकार में बैठे हुये मंत्री लोग हैं पहले वे अपने दिमाग की सफाई कर लें कि हम क्यों पिछड़े हुये हैं। केवल इस प्रकार का दोषारोपण करने से सिवाय इसके कि एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा हो, इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है।

*श्री हाफिज मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा ही मशकूर हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिये अवसर दिया। मान्यवर, जब हम अपने पिछड़े हुये क्षेत्रों में जाते हैं और देखते हैं कि वहां न रास्ते हैं, न शिक्षा है, न कोई अस्पताल है, न सिंचाई का प्रबन्ध है, न पीने के लिये पानी है, और हम यहां आकर अपने क्षेत्र के लिये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। आज हमें मौका मिला है कुछ कहने का। अपने सूबे की सरकार से मेरी गुजारिश है कि आज की चर्चा से हमें कुछ नतीजा निकालना चाहिये। ऐसा न हो कि यह चर्चा महज चर्चा बन कर ही रह जाय, विकास का कोई काम न हो, कह दिया जाय कि हमारे पास पैसा ही नहीं है।

मैं सरकार का ध्यान सहारनपुर जिले के उस पिछड़े हुये क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो ४० मील लम्बा और ८ मील चौड़ा है जो किसी भी माने में मिर्जापुर, बलिया, देवरिया, आदि किसी भी पिछड़े हुये इलाके से अच्छा नहीं है। सहारनपुर तहसील और रुड़की तहसील, यह दोनों तहसीलें ऐसी हैं कि जिनके उत्तरी भाग में न रास्ते हैं न स्कूल हैं, न अस्पताल हैं, न वहां विकास का कोई काम हुआ है। यह एरिया बहुत ही पिछड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से यह इलाके सरकारी रेकार्ड्स बैकवर्ड लिखे हुये नहीं हैं। इसी कारण जो सहूलियतें उनको मिलनी चाहिये

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थीं वह भी नहीं मिलती हैं। उदाहरण के लिये गेहूं की लेवी में पिछड़े हुये क्षेत्रों को जो छूट मिली थी, वह हमारे इन क्षेत्रों को नहीं मिली। इसके लिये हम लोगों को, कलेक्टर और कमिश्नर को बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ी। उसके बाद कुछ सहूलियत मिली। पीने के पानी की इतनी दिक्कत है कि औरतों और बच्चों को ४–४ मील से पानी का घड़ा सर पर रख कर लाना पड़ता है। हमारे यहां शाकुम्बरा देवी का एक मेला भी लगता है। उसमें भी पानी की बड़ी किल्लत रहती है। नदियों पर पुल जो टूट गये हैं वे टूटे ही पड़े हैं। २ हजार की आबादी में भी एक प्राइमरी स्कूल नहीं है। गरीबों के लिये, हरिजन तथा पिछड़े लोगों के लिये कोई अस्पताल तक नहीं है।

एक चीज की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां हाथ से काम करने वाले छोटे मजदूर, मेहनत करने वालों को, जो भावड़ दिया जाता है वह ४० रुपये मन के हिसाब से दिया जाता है जबकि वही भावड़ हमारे यहां की पेपर मिल को ८ रुपये मन के हिसाब से दिया जाता है। और जो मजदूर हैं, हरिजन हैं और उसी का पेशा करके अपनी गुजर करते हैं उनको ४४ रुपये मन भावड़ देते हैं। जब इस तरह की वहां हालत है तब कैसे उम्मीद की जाय कि उनकी हालत सुधर सकेगी। इसलिये मेरी मांग है कि जब वह बैकवर्ड इलाका है तो वहां के लिये अलग से कोई योजना बनायी जाय और सरकारी रिकार्ड में Backward क्षेत्र घोषित किया जाय।

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष––

हमारी दिक्कत यह है कि कोरम गिर रहा है।

***श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––**

मान्यवर, आपकी मैं बड़ी कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे लखनऊ के सम्बन्ध में बोलने के लिये कुछ मौका दिया। हमारे कुछ भाइयों ने यह कोशिश की कि मुझे बोलने का मौका न दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––

अभी आप बैठ जायं, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

मान्यवर, एक कहावत है––"चिराग तले अन्धेरा", वही लखनऊ शहर जो सीट आफ गवर्नमेंट है, उस पर लागू होता है। यहां के लोगों को जो-जो परेशानियां होती हैं उनकी तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। मान्यवर, मनुष्य के लिये तीन सबसे ज्यादा और परम आवश्यक चीजें हैं जिनके बिना वह जिन्दा नहीं रह सकता है। वे हैं जल, प्रकाश और साफ हवा। अगर हम लखनऊ की गरीब और अन्धेरी गलियों में जायं तो देखेंगे कि वहां इन तीनों चीजों का अभाव है। यह बात जरूर है कि हमारे भाई लोग एयर कंडिशण्ड हाल में बैठे हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ शहर के एक मील ही दूर चलें तो मैं आपके सामने वह दर्दनाक नजारा पेश करूंगी कि आपकी आंखों के अन्दर आंसू होंगे। मान्यवर, लखनऊ की यह बदकिस्मती रही है कि यहां की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन उस मात्रा में सुविधायें नहीं बढ़ पाती हैं। वे सुविधायें कुछ नहीं पा रहे हैं। यहां की सबसे बड़ी समस्या जो है वह यह कि यहां नाले बहुतायत में हैं। जैसे सरकटा नाला, पाटा नाला, हैदर कैनाल नाला, घसियारी मंडी नाला, वगैरह-वगैरह ७–८ नाले हैं। जब बरसात आती है तो उनमें इतना पानी भर जाता है कि उनके किनारे बसने वाले जो रहते हैं, हुजूर अगर मुआयना करें तो देखेंगे कि उनके घरों के अन्दर घुटनों-घुटनों तक पानी–बल्कि एक-एक मंजिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

तक पानी भर जाता है। एक बस्ती में नहीं बल्कि कई बस्तियों में ऐसा है। जहां ये नाले हैं वहां आसपास बिलकुल किनारे पर बसने वाले जो लोग हैं वे बिलकुल बरबाद हो जाते हैं और जब तक बरसात रहती है उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता और बहुत से सामान उनके नष्ट हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इन नालों की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं कि इनका कुछ इंतजाम किया जाय।

दूसरी बात यह है कि नालों में इतना कूड़ा जमा हो गया है जिससे कंजेशन हो गया है और उसकी वजह से पानी का बहाव नहीं होता। एक बड़े दुख की बात यह है कि इन नालों के ऊपर कुछ लोगों ने अपने बड़े-बड़े मकान बना लिये हैं और ये मकान म्युनिसिपैलिटी की इजाजत से बनाये गये हैं। यह जाहिर करता है कि हम लोगों में सिविल सेंस बिलकुल नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिये और जिन लोगों ने इन नालों पर अपने मकान बनवाये हैं उसके लिये इस तरह का इन्तजाम होना चाहिये कि वहां से वे अपने मकान हटा लें। तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां पर सीवर व्यवस्था ठीक नहीं है। सीवर लाइन खराब रहती है। पीने की पानी की परेशानी है। ड्रेनेज सिस्टम डिफेक्टिव है। सीवर लाइन डिफेक्टिव है। नालियां खराब हैं। फुहारों की तरह पानी बहता है, जैसे काश्मीर में फुहारे बहते हैं, वैसे ही पानी छूटता है। नालियों में गंदगी बहा करती है। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहती हूं, उद्योग धंधों के बारे में.....

श्री अध्यक्ष---

और बाकी लिखकर दे दें।

अब मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य जवाब देने के लिये तैयार है ?

(कुछ क्षण उपरांत)

इस पर २९ माननीय सदस्यों का भाषण हो गया है।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

अब आप लोग लिख कर दे दें, या एक-एक मिनट में अपनी बात कह दें, यह हो सकता है।

चौधरी पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, छानबे इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

एक तरफ से बोलिये।

(श्री देव बहादुर सिंह का नाम पुकारने पर तथा उनके भाषण आरम्भ करने से पूर्व)

आप लोग एक-एक मिनट में अपने यहां की समस्याएं बता दें।

***श्री देव बहादुर सिंह** (जिला नैनीताल)---

अध्यक्ष महोदय, पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के संबंध में जो चर्चा हो रही है, मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा के काफी लाभ इस प्रदेश को होगा। मान्यवर, मैं पर्वतीय अंचल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चहता हूं। मैं एक बात यह चाहता हूं कि २७ वर्ष के बाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी आज इस अंचल में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पानी पीने के लिये उपलब्ध नहीं है। कहीं-कहीं एक-एक मील ऊपर से कंधों पर स्त्रियों को पानी लाना पड़ता है, अपने उपयोग करने के लिये। मान्यवर, आज भी वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, हल्द्वानी शहर की स्थिति ऐसी है कि जो पानी उपलब्ध है वह इतना दूषित है कि जो उस पानी को पीते हैं उनके पेट से कीड़े निकलते हैं।

तराई की बात मैं मान्यवर, आपको बताऊं, तराई के बारे में कहा जाता है कि तराई में एक चीज खराब है और वह है पानी। आज भी वहां स्वच्छ जल पीने के लिये उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी ने रामपुर-हल्द्वानी रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। मैं निवेदन करूंगा कि उस योजना का, जिसका शिलान्यास किया गया है उसको मान्यवर, पूरा किया जाय।

मान्यवर, यहां कागज की एक फैक्टरी होनी चाहिये। यहां पर कच्चा माल उपलब्ध है। अगर कागज की फैक्टरी लगायी जायगी तो कच्चे माल का उपयोग होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। गन्ने के सिलसिले में, तराई का क्षेत्र सरप्लस इलाका है। इस साल भी जून के महीने तक फैक्टरियां चली हैं। मान्यवर, मेरी मांग है कि एक फैक्टरी गदरपुर में और लगायी जाय। दूसरी बात ....

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

***चौधरी पुरुषोत्तम दास--**

अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र छान्नवे, मिर्जापुर है। मान्यवर, मेरे जिले में एक बहुत बड़ा भाग छान्नबे का है। मान्यवर, अगर गंगा में थोड़ी सी भी बाढ़ आती है तो यह इलाका डूब जाता है। खरीफ की फसल बरबाद हो जाती है। इस तरफ कोई ध्यान देना चाहिये। जहां तक रबी का सवाल है मेरा निवेदन है कि ट्यूबवेल्स का बन्दोवस्त कर दिया जाय। क्योंकि अगर थोडा सा भी सूखा पड जाता है तो उस समय कोई गल्ला पैदा नहीं होता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा यहां पर ट्यूबवेल्स लगाये जायं, इससे जनता का भला हो सकता है।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ आने जाने के बारे में भी कहना चाहता हूं। एक जगह अकोढ़ी-बकुरा है। यहां पर रेलवे लाइन के पास पार करने के लिये कोई पुल का बन्दोवस्त कर दिया जाय तो बहुत ही राहत मिलेगी और तिरई, जोपा आदि का चक्कर बच जायगा। २० मील का जो चक्कर करना पडता है, उस चक्कर से बचत होगी। मैपुरा-रामपुर और विहसवा-रामपुर, हालांकि यह सड़कें बनी हैं लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उन पर अच्छी तरह से आया जाया नहीं जा सकता है। मान्यवर, मध्य प्रदेश से चला हुआ मुसाफिर दरामलगंज से होता हुआ, हलिया से होता हुआ गयापुरा से रामपुर घाट से बनारस पहुंच सकता है यदि रामपुर घाट पर पीपों का पुल बना दिया जाय क्योंकि मिर्जापुर में पक्का पुल बन रहा है और उसके खाली पीपों से रामपुर घाट बन सकता है।

मान्यवर, अदवा डैम, ददरी डैम, सोने, कनहर, बेलन और बकहर योजना जो है उसके लिये पैसा कम दिया गया है जिससे कार्य धीरे-धीरे होगा और उसके फलस्वरूप उत्पादन में नुकसान होगा। इसलिये इस योजना को शीघ्र पूरा करवायें।

मान्ववर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चेक पोस्ट भैसोंर जो कि मध्य प्रदेश के बारडर से लगी हुई है वहां बड़ी गड़बड़ी होती है? गाड़ी वालों को ३-४ घन्टे रुकना पड़ता है जिससे उनको बड़ी परेशानी होती है। इसलिये ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि यह संकट दूर हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी पुरुषोत्तम दास]

मान्यवर, मिर्जापुर की म्युनिसिपल बोर्ड की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां यह बहुत दिनों से सुपरसीड चली आ रही है जिससे सड़कें बड़ी खराब हो गयी हैं और सफाई नहीं होती है। अत: इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, हमारे यहां मलेरिया का प्रकोप तेजी से है जिससे लोग बीमार हो गये हैं। आज कल तेरह कार्तिक तीन अषाढ़ होने से और लोग बीमार पड़ जाने से खेती नहीं कर पायेंगे फलस्वरूप उनको भूखों मरना पड़ेगा। अत: इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, हलिया, लालगंज और दरामतगंज में जच्चा-बच्चा अस्पताल खोला जाना चाहिये जिससे वहां की औरतों को सुविधा मिल सके।

मान्यवर, प्रदेश सरकार ८ सूती धागे की मिलें प्रदेश में देने जा रही है। इसलिये निवेदन है कि हमारे जिले में भी एक सूती धागे की मिल लगवायें जिससे वहां की जनता का कल्याण हो सके। वरना जनता को कोई लाभ नहीं है।

मान्यवर, हरिजनों के मामले में मुकदमें चलाने की व्यवस्था सरकार ने बना रखी है लेकिन सिटी मैजिस्ट्रेट का आदेश जब तक नहीं आयेगा तब तक कोई मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता है। आदेश आते-आते वह आदमी मर जाता है। इसलिये इससे भी कोई फायदा नहीं है और हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है।

अन्त में मैं मुख्य मन्त्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वह एजेन्डे में क्षेत्र के उत्थान और विकास के लिये कुछ लाये हैं। यह मेहनत खराब नहीं जायेगी क्योंकि लोगों ने कहा है कि :—

फरियाद की तुरबत से आती हैं सदायें
बेकार किसी शख्स की मेहनत नहीं जाती।

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

मान्यवर, प्रदेश के मध्य क्षेत्र जिला हरदोई की कुछ समस्यायें मैं आपके सामने रखूंगा। मैं तो पिछड़े क्षेत्र की संज्ञा से यह समझता हूं कि जैस-जैसे प्रदेश का मुख्य मन्त्री बदला है वैसे ही इस प्रदेश के जिलों का पिछड़ापन बदला है। यदि इतिहास देखें तो माननीय पन्त जी के जमाने में जो जिले पिछडेपन में थे वह माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में बदल गये हैं। माननीय गुप्ता जी के जमाने में पिछडापन और जिले में आया और पं० कमलापति त्रिपाठी जी के चौथा पिछडेपन के जिले फिर बदले। लेकिन माननीया सुचेता कृपलानी जी की पिछडेपन की दूसरी ही संज्ञा रही है। हमारे जमाने में जो माननीय मुख्य मन्त्री जी हैं उनके लिये पहाडों पर ही पिछडापन है और कहीं नहीं है। पिछडेपन की संज्ञा यह कही गयी कि शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के मामले में, सडकों के मामले में, सिंचाई के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में, जनसंख्या के मामले में तो इन सब को यदि देखा जाय तो एकरूपता दी जानी चाहिये कि कहां पिछडापन है। मैं समझता हूं कि इसके लिये एक आयोग बिठाया जाय जो हर जिले के पिछडेपन को देखे। पटेल कमीशन ने यदि एक बात कह दी कि पूर्वी जिले पिछडे हैं तो वही पिछडा रहेगा। मैंने तो पूर्वी जिले देखे हैं, उसकी सडकें औरों से चार गुनी और पांच गुनी अच्छी हालत में होंगी। मैं इस सम्बन्ध में दूसरा सुझाव यह भी दूंगा कि जिस जिले की जितना आय हो उसके उसके आधार पर उस जिले में विकास कार्य किया जाय।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

आप पूर्वी जिलों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरीगढ़वाल)—

[* * * * * *]

श्री अध्यक्ष— —

यह नहीं लिखा जायगा।

श्री श्रीशचन्द्र—

हमारे जिले की आय है वह हमारे जिले में खर्च होनी चाहिये यही कह रहा हूं। मेरा जिला इतना पिछड़ा है। हमारे यहां इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल ४० हैं। मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं जाना चाहता क्योंकि अध्यक्ष जी ने मुझे दो तीन मिनट का समय ही दिया है। बिजली का खर्च १२-१३ यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। अगर आंकड़े चाहेंगे तो वह भी बतला दूंगा। मुझे यह भी कहना है कि किसी जमाने में डेवलपमेंट लैवी लगायी थी और यह कहा गया था कि जिलों में सड़क और पुल, पुलियां इससे बनेंगी। मुझे खेद है कि और मैं मन्त्रि-मन्डल और मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि दो साल से वसूली होने के बाद भी जिलों में वह पैसा नहीं गया। अगर पुलिया टूटी है और इर्रीगेशन विभाग से कहते हैं तो वह कहते हैं पैसा नहीं है। नहर की सफाई करने के लिये पैसा नहीं, सड़कें ठीक करने के लिये पैसा नहीं, नलकूप के लिये पैसा नहीं। शासन में हम इसीलिये बैठे हैं कि हम कुछ करें, हम चुनकर आये हैं तो मैं विधायक रहने का कोई औचित्य नहीं मानता। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं अगर मैं उसकी सेवा न कर सकूं तो क्या औचित्य है। मैं तो कहूंगा कि एक आयोग बनाया जाय जो यह देखे कि कौन जिला पिछड़ा है और वहां उसका विकास किया जाय।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में पिछड़ पन पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। थोड़ से शब्दों में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि विकास की रणनीति के बारे में हम अपने सुझाव दें। मान्यवर, मैं लगातार सुनता आ रहा हूं, कभी बुन्देलखंड के पिछड़ पन की बात होती है, कभी पूरब के पिछड़ पन की बात होती है तो कभी पहाड़ों के पिछड़ पन की बात की जाती है। मेरा ऐसा ख्याल है कि हर जिले में कुछ न कुछ हिस्सा पिछड़ा हुआ है। चाहे प्रतापगढ़ हो, उन्नाव हो या हरदोई हो। ये तमाम ऐसे स्थान हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं। मैंने अपने क्षेत्र के बारे में देखा है। मैं फसल के समय वहां गया था। हसनगंज तहसील के गोरिन्दा परसन्दन परगना में एक भी ट्यूबवेल और नहर शासन की तरफ से नहीं है। क्या यह पिछड़ापन नहीं है? सूखते हुए खेत मेरी आत्मा को सताते रहे हैं। क्या कहूं उन लोगों से कि हमारी सरकार पिछड़ापन दूर करने के लिये यह करने जा रही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा।

हमारे यहां उन्नाव में केवल अरबन पापुलेशन २, ३ परसेंट है जबकि प्रदेश में १४ परसेंट है। सड़क ५५० किलोमीटर है। नेशनल हाईवे जो लखनऊ से कानपुर जाता है और प्राविन्शियल हाईवे जो चाहे उन्नाव से हरदोई की तरफ जाता हो और चाहे उन्नाव से रायबरेली। इसी तरह से पक्की सड़कों के मामले में अब तक कुल ५५० किलोमीटर लम्बी सड़क बन पाई है और इसके बाद एक भी किलोमीटर सड़क नहीं बनी। हमारे जिले में कुल २६ सरकारी ट्यूबवेल्स हैं और यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस वर्ष एक भी ट्यूबवेल नहीं दिया गया। सिंचाई की कमी, सड़कों की कमी, शिक्षा की कमी, सभी ओर कमी है। ३-४ कालेजों को छोड़कर कोई कालेज लड़कियों का जिले में नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में नवाबगंज के लोगों को एक गर्ल्स कालेज के लिये तैयार किया और वहां के व्यक्तियों ने एक

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

[श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी]

लाख रुपया कालेज की बिल्डिंग के लिये तथा और रुपया अगर अतिरिक्त बिल्डिंग के लिये आवश्यकता पड़ेगी, वह देने को तैयार हैं और यह चाहते हैं कि इस नारी वर्ष में एक गर्ल्स स्कूल खोल दिया जाय । इसी तरह से हमारे यहां एक लाख व्यक्तियों में से केवल ७० व्यक्तियों को कारखानों में नौकरी मिलती है । मैं पूछना चाहता हूं कि तमाम कारखाने लगे हैं क्या उनमें प्रोडक्शन हो रहा है, क्या केवल दीवारें खड़ी कर देने के ही पिछड़ापन दूर हो जायेगा । हमारे यहां साक्षरता का प्रतिशत कम है और जन-संख्या का घनत्व बहुत अधिक है । हमारे यहां २७६ किलोमीटर लम्बी ड्रैनेज की स्कीम थी और शासन को भेजी गई थी, वह भी स्वीकार नहीं की गई ।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि नवाबगंज क्षेत्र के लिये ४५ लाख रुपये से झील की एक योजना दी गई है । इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि जहां पर्यटन केन्द्र बने तो उसके ३-४ मील के रेडियस में जो स्थान हो यह भी विकसित होना चाहिये । लवकुश द्वारा स्थापित कुसंभी का दुर्गाजी का मन्दिर, परशुराम की तपोभूमि परसवृक्ष आदि ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनका अगर विकास नहीं किया गया तो पर्यटक पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे । हमारे कवि सम्राट सनेही जी के गांव हड़हा तक जाने के लिये कोई सड़क नहीं है । श्री प्रताप नारायण मिश्र जी के गांव बेथर से कल्हुआ गाड़ा तक जाने के लिये कोई सड़क नहीं है । इन सब स्थानों तक सड़क का निर्माण होना चाहिये । इसके अतिरिक्त अचलगंज से पुरवा तक सीधी एक सड़क बनाकर कानपुर से फैजाबाद तक मार्ग जोड़ा जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त एक बात मैं अस्पतालों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा हमारे यहां के एक ट्रस्ट ने श्री द्वारका प्रसाद जी मिश्र के गांव पड़री में अकेले ही २ लाख रुपया से महिला चिकित्सालय का भवन बनवा रहे हैं तथा भुंभवार गांव में एक दूसरे सज्जन २ लाख रुपया चिकित्सालय भवन तथा ३०० रुपया माहवार दवा के रूप में देना चाहते हैं । शासन को ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि वहां के लोगों का उत्साहवर्द्धन करे । परन्तु शासन ने उसका कोई विचार नहीं दिया और न अब तक कोई निर्णय लिया है । इसी तरह से उन्नाव ब्रांच में एक नहर है । वहां १९२८ से एक झाल था । मील २५, फर्लांग २ पर, नहर के अधिकारियों ने मनमाने ढंग से उनको तोड़ दिया । वहां लोगों ने एक आन्दोलन का रूप धारण कर लिया था, लोगों को बड़ी मुश्किल से समझा पाया । वहां झाल का निर्माण किया जाय और विकास के कामों में गति लाई जाय । लखनऊ और कानपुर के बीच दुधारू पशुओं की बेल्ट बनाने की आवश्यकता है और १५ प्रतिशत ऊसर भूमि होने के कारण ऊसर सुधार योजना चलाने की आवश्यकता है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ सके । इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि प्रदेश के पिछड़ेपन का ख्याल किया जायगा जिससे शीघ्र से शीघ्र विकास हो सके ।

*श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक साथी ने यह कहा था कि पिछड़े होने का मुख्य कारण यह है कि मुख्य मन्त्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ । मेरा कहना यह है कि उस क्षेत्र की पिछड़े होने की जिम्मेदारी मुख्य मन्त्रियों की नहीं, स्वयं उस क्षेत्र के विधायक की है । जिसने पिछले २५ वर्ष के दौरान अपने क्षेत्र की स्थिति की ओर, उद्योग की कमी की ओर, गरीबी की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया । मैं यह समझता हूं कि कृषि के विकास के लिये यह परमाश्वयक है कि पहले अपने पैरों पर वे खड़े हों और अपने विकास के लिये आगे बढ़ने को तैयार हों और जितने रोड़े आयें उनको हटायें और अगर कोई कमी हो तो उसे मानना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सबसे बड़ी कमी यह है कि मैनुअल लेबर को हमारे यहां प्रबुद्ध वर्ग अपमान की दृष्टि से देखता चला आ रहा है और आर्थिक साधन सब इस प्रबुद्ध वर्ग के ही हाथ में हैं जो इस तरह की भावना रखता है। इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यही है। आज परिस्थिति यह है कि गोरखपुर, बलिया और आजमगढ़ के नौजवान जिनमें काम करने का उत्साह तथा शक्ति है बम्बई तथा कलकत्ता चले जाते हैं और खेती के लिये परिश्रमी मजदूरों की आवश्यकता होती है वह नहीं मिल पाते हैं जिसके कारण पूर्वी जिलों की खेती को काफी धक्का लग रहा है। इसी के कारण पूर्वी जिले पिछड़े हुए हैं और वहां पर उद्योगों का नामो निशान नहीं है।

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पिछड़े जिलों के पिछड़ेपन पर प्रकाश डाला है और जितने भी सुझाव उन्होंने दिये हैं उनको नोट किया गया है। सरकार उन पर अलग से विचार करेगी। पिछड़ेपन को दूर करने के लिये दो बातों की नितान्त आवश्यकता है एक तो खेत और दूसरे कारखाने। गत वर्ष बिजली की कमी तथा वर्षा की कमी के कारण यह दोनों सम्भव नहीं हो सकी थीं। पिछड़े क्षेत्रों के लिये नये कारखानों की स्थापना भी सम्भव नहीं हो सकी और जहां स्थापित हुये थे वहां बिजली न मिलने के कारण उनमें कार्य भी प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इस वर्ष सौभाग्य के स्थिति बेहतर है। सरकार ने भी यह चेष्टा की है कि जितनी भी नयी कोआपरेटिव शुगर फैक्टरियां बन रही हैं, वे अधिकांश ऐसे जिलों में स्थापित की जायं जो उद्योग की दृष्टि से पीछे हैं अथवा जहां पर एक भी शुगर फैक्टरी नहीं है। इसी प्रकार हथ-करघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये जो हमारे बुनकर हैं उनको रोजगार दिलाने के लिये प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में २२ कताई मिलों की स्थापना करने का निर्णय किया गया है।

माननीय सदस्यों को यह जानकारी होगी कि शारदा सहायक परियोजना प्रदेश को विशेष कर पिछड़े जिलों को कृषि विकास के कार्यों में वृद्धि करेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इस दृष्टि से भी उसका निर्माण किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस चालू वित्तीय वर्ष में ५ लाख ४० हजार हैक्टेयर भूमि में नयी सिंचाई की व्यवस्था होगी। एक बात की मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अवश्य प्रार्थना करूंगा कि सिंचाई की क्षमता उत्पन्न हो जाने के बाद आवश्यकता इस बात की है कि उसका पूरा प्रयोग किया जाय। जिन-जिन जिलों में और प्रदेश के जिन-जिन भागों में सिंचाई की क्षमता का पूर्ण उपयोग करके जमीन से दो या उससे अधिक फसलें ली जाती हैं वहां की आर्थिक अवस्था अच्छी है क्योंकि हमें यह स्वीकार करना होगा कि कागज का नोट कोई दौलत नहीं है। दौलत वह है जो खेत में पैदा होती है या कारखाने में पैदा होती है अथवा जितनी दौलत खेत में वे पैदा करेंगे या जितनी अधिक फसल वे खेत से लेंगे उतनी ही आर्थिक अवस्था सुधरेगी।

मान्यवर, मैं अभी जालौन और झांसी जिलों में गया था। लगभग ३५ फीसदी क्षेत्र में सिंचाई वहां सिंचाई होती है लेकिन दोनों जिलों में क्रमश: ७ और ९ प्रतिशत जमीन में दो फसलें ली जाती हैं। ३५ फीसदी क्षेत्र में सिंचाई हो और ९ फीसदी जमीन में दो फसलें ली जाती हों तो यह हमारे लिये विचारने की बात है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सिंचित क्षेत्र में दो अथवा उससे अधिक पैदावार लेकर इन पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार वहां की जनता और प्रदेश की आवश्यकता के लिये कृषि-उत्पादन में बढ़ायें।

मान्यवर, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये भी प्रदेशीय सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश की सरकार का ध्यान विशेषकर इन पिछड़े जिलों में ट्यूववेल्स वगैरह की स्थापना करने का है। प्रदेश के कुछ जिले जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़ मुरादाबाद, बिजनौर आदि ऐसे हैं जहां कि न गत वर्ष ही कोई राजकीय नलकूप दिया गया है

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

और न ही इस वर्ष दिया गया है। कोशिश यह है कि जो भी राजकीय नलकूप प्रदेश में दिये जायेंगे वे प्रदेश के ऐसे जिलों में दिये जायं जहां पर सिंचाई की व्यवस्था कम है और जो पिछड़े हैं, जिससे वहां के लोग परिश्रम करके अपना उत्पादन बढ़ा सकें। माननीय सदस्यों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने जिलों में प्रदेश की आवश्यकतानुसार निजी नलकूप की स्थापना के लिये प्रयास करें।

हमारे जिलों में, मान्यवर, जहां सिंचाई की पुरानी व्यवस्था है, जिस जिले से मैं आता हूं वहां ७ हफ्ते नहर मरती है और केवल एक हफ्ते नहर चलती है। लेकिन वहां पर किसान अपने नलकूप लगाये हैं उसके लिये सरकार की ओर से कार्मशियल बैंकों की ओर से, कोआपरेटिव बैंक की ओर से और लैन्ड डेवलपमेंट बैंक की ओर से नलकूप लगाने के लिये कर्जे दिये जाते हैं, ताकि निजी नलकूपों की व्यवस्था की जा सके। जहां तक हो सकेगा सरकार इमदाद करेगी और उससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और उन इलाकों का पिछड़ापन दूरा होगा।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, सरकार के प्रयास से २६ जिलों में जो पिछड़े हुए हैं, जो निर्धन हैं, वहां पर सीमान्त कृषकों और लघु कृषकों के विकास के लिये भी योजना चलाई जा रही है। सीमान्त कृषकों को खाद पर, बीज पर या कीटनाशक दवाओं पर सिंचाई और मुर्गी पालन पर १-३ हिस्सा सहायता देने के लिये सरकार चेष्टा करती है। इसी प्रकार लघु कृषकों को १/४ तक अनुदान इन कार्यों को बढ़ावा देने में दिया जा रहा है। तो मान्यवर, इस प्रकार सरकार अपने साधनों के अनुरूप जितना हो सकता है पिछड़े जिलों में वह कर रही है।

जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों की चर्चा माननीय सदस्य ने की, मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्रों में जाने का सौभाग्य मुझे मिला है और मुझे प्रसन्नता है कि वहां पर फल उत्पादन की ओर सरकार की तरफ से जो विशेष ध्यान दिया गया उसके फलस्वरूप हमारे इन ८ जिलों में विशेषकर सेव उत्पादन में ज्यादा वृद्धि हुई है? इसमें जो क्षेत्र लगा है वह हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में चाहे वह हिमांचल हो चाहे वह जम्मू-काश्मीर हो उतना क्षेत्रफल नहीं है और दो-तीन वर्षों में सेब उत्पादन भी इन ८ जिलों में सबसे अधिक हो जायेगा। सेब उत्पादन पर हमारे पर्वतीय कृषकों का आर्थिक विकास निर्भर करता है। दूसरे फलों का भी वहां पर विकास किया जा रहा है जैसे बादाम, केसर आदि की फसल भी जिन जिलों में उत्पादित हो सकती हैं की जा रही है।

जहां तक गोविन्द सिंह मेहरा साहब ने स्वायल कन्ज़रवेशन की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है मैं उनसे और बातचीत कर लूंगा और यह कोशिश करूंगा कि वहां की जो विशेष परिस्थिति है उनके अनुरूप वहां पर स्वायल कन्जरवेशन का काम किया जायेगा।

इसी प्रकार मान्यवर जो २१ सूत्री प्रोग्राम माननीय प्रधान मन्त्री जी ने घोषित किये हैं उसको देखते हुए भी पिछड़े लोगों के लिये, निर्धन लोगों के लिये उनको बसाने के लिये भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।

मैं माननीय सदस्यों का आभार मानता हूं कि उन्होंने जो अपने-अपने क्षेत्रों के बारे मे, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के बारे में सुझाव दिये हैं उसके लिये मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार उन पर विचार करेगी और अपने संसाधनों के अन्तर्गत जितना हो सकेगा उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अमली कदम उठाने की कोशिश की जायेगी।

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

अब माननीय कृषि मन्त्री प्रस्ताव रखेंगे।

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक ७ अगस्त, १९७५ को स्वीकृत प्रस्ताव के सन्दर्भ में निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये निम्नलिखित ४ व्यक्तियों को निर्वाचित किया जाय :--

(१) श्री सन्तसिंह यूसुफ (कानपुर),
(२) श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पान्डे (बस्ती),
(३) श्री पूरन चन्द (अलीगढ़),
(४) श्री चन्द्रपाल सिंह (मुरादाबाद)।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन दिनांक ७ अगस्त, १९७५ को स्वीकृत प्रस्ताव के सन्दर्भ में निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये निम्नलिखित ४ व्यक्तियों को निर्वाचित किया जाय :--

(१) श्री सन्तसिंह यूसुफ (कानपुर),
(२) श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पान्डे (बस्ती),
(३) श्री पूरन चन्द (अलीगढ़),
(४) श्री चन्द्रपाल सिंह (मुरादाबाद)।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवचरन लाल की जेल से रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

सुपरिन्टेन्डेंट, सेन्ट्रल जेल, आगरा ने दिनांक ८ अगस्त, १९७५ के वायरलेस मैसेज द्वारा सूचित किया है कि श्री शिव चरन लाल, सदस्य, विधान सभा (आगरा), दिनांक ८ अगस्त, १९७५ को रिहा कर दिये गये हैं। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी व जेल भेजने की सूचना दिनांक २८ जुलाई, १९७५ को दी गई थी।

सदस्यों के दल त्याग सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे कुछ और भी सूचनाएं सदन को देनी हैं--जो लोग पार्टी छोड़ कर अलग बैठ रहे हैं, उन लोगों के बारे में, चूंकि सदन का आज आखिरी दिन है।

माननीय ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा, शाहजहांपुर ने लिखा है कि उन्होंने भारतीय लोक दल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है तथा सदन में निर्दलीय सदस्य के रूप में बैठेंगे।

मुझे सदन को यह भी सूचना देनी है कि भारतीय लोक दल के सदस्य श्री काशी प्रसाद (जिला हमीरपुर) ने अपने दिनांक ७ अगस्त, १९७५ के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय लोक दल की सदस्यता से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है और वह एक निर्दलीय सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

सदन के अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन १ बजकर ३० मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
९ अगस्त, १९७५।

प्रति

पी०एस०यू०पी०--एल० २२४ वि० सभा (६७६)--१९७५--८४५।